आजीविका वार्ता

वर्ष 9, अंक 2 जुलाई-सितम्बर 2017 सीमित वितरण हेतु

प्रस्तुत अंक में...

- सम्पादकीय
- केले की वैज्ञानिक खेती 02
- साक्षरता के माध्यम से महिला सशक्तीकरण 08
- किसानों की उद्यमशीलता–एल.ए.पी.सी.एल. 11
- गाँवों में स्वास्थ्य रक्षा हेतु शौचालय निर्माण 15
- समाचार
  - सरकारी सहयोग से फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना 19
  - खरीफ की फसलों की अच्छी पैदावार प्रशिक्षण 19
- किसानों के लिये अनुदान हेतु सरकारी योजनायें 20
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 21
- सूक्ष्म कृषि नियोजन 23
- निर्माण श्रमिकों के लिये सरकारी योजनायें 26
- मूंगफली की खेती 28
- नारंगी शकरकंद की खेती 31

सहयोग:
TATA TRUSTS
SIR DORABJI TATA TRUST

आजीविका संसाधन केन्द्र
ग्रामीण डेवलपमेंट सर्विसेज

सम्पादकीय

सुधी पाठकगण!

आजीविका वार्ता का प्रस्तुत अंक आपको सादर समर्पित है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या की आजीविका का एक प्रमुख श्रोत कृषि है। आज भी लगभग दो तिहाई से अधिक श्रमशक्ति कृषि क्षेत्र में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार से जुड़ी है। अतः यह आवश्यक है कि अधिक लाभार्जन की दृष्टिकोण से किसानों को वैज्ञानिक ढंग से खेती करने के लिये के लिये अभिप्रेरित किया जाय। इससे न केवल उत्पादन में वृद्धि होगी अपितु कृषि लागत में भी अपेक्षाकृत कमी आयेगी। इसी क्रम में अधिक आय प्रदान करने वाली फसलों की खेती करने की सही जानकारी देकर किसानों को इस ओर आकर्षित करना जरूरी है जिसका निरन्तर प्रयास इस प्रकाशन के माध्यम से किया जाता रहा है। यहाँ यह भी आवश्यक है कि आजीविका संवर्धन से जुड़े मुद्दों के अभिन्न अंग के रूप में महत्वपूर्ण सामाजिक विषयों के बारे में समय-समय पर उपयोगी चर्चायें की जॉय। इस विचार के साथ लोगों को स्वच्छता कार्यक्रम से जोड़ने के लिये ग्रामीण क्षेत्र में शौचालय निर्माण जैसे समसामयिक विषय पर एक संक्षिप्त जानकारी दी जा रही है क्योंकि यह केवल स्वास्थ्य का मुद्दा न होकर बल्कि महिला सम्मान से भी जुड़ा चिन्तन का विषय है। विकास अभिकर्ता के रूप में हमारा यह कर्तव्य है कि हम समुदाय को इस दिशा में प्रेरित करें, साथ ही इसके लिये किये जाने वाले सरकारी प्रयासों में यथासम्भव अनुपूरक की भूमिका निभायें। गतांक में हमने कृषि पर आधारित **'सुजलाम् सुफलाम् पहल'** परियोजना के बारे में जानकारी दी थी। इसी तरह इस अंक में साक्षरता के माध्यम से महिला सशक्तीकरण प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिये पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रारम्भ की गयी एक नयी पहल के बारे में जानकारी दी जा रही है।

हमारा प्रयास है कि इस प्रकाशन में दी जाने वाली सीमित किन्तु महत्वपूर्ण जानकारी के माध्यम से पाठकों को सम्बन्धित विषय में जानकारी प्राप्त करने, अपनाने तथा प्रसारित करने के लिये संवेदित किया जा सके, जिसकी सफलता का प्राथमिक अनुमान हम इस सम्बन्ध में आपके द्वारा प्रेषित विचारों का अध्ययन करके लगा सकते हैं। अतः हमें आपके बहुमूल्य विचारों की प्रतीक्षा रहती है, क्योंकि इससे हमें इस प्रकाशन को अधिक जनोपयोगी बनाने का सम्बल मिलेगा।

विश्वास है, प्रस्तुत अंक में दी गयी जानकारियाँ आप सभी शुभेच्छु पाठकों के लिये उपयोगी सिद्ध होगी। हमें प्रसन्नता होगी, यदि इन जानकारियों को समुदाय के अधिकाधिक लोगों में प्रसारित किया जा सके तथा वे इनसे लाभान्वित हो सकें।

इसी आशा के साथ आपका आभारी,

सम्पादक मण्डल

केले की वैज्ञानिक खेती

भारत में प्रायः हर गाँव में केले के पौधे पाये जाते हैं। यह स्वादिष्ट, पौष्टिक, पाचक, सस्ता एवं लोकप्रिय फल है। इसमे शर्करा एवं खनिज लवण जैसे फास्फोरस तथा कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं। फल का उपयोग खाने, सब्जियॉ बनाने के अलावा आटा तथा चिप्स आदि बनाने में किया जाता है। अधिक उत्पादन तथा आमदनी होने के कारण दिन प्रतिदिन केले की खेती का क्षेत्रफल व्यावसायिक रूप से बढ़ता जा रहा है।

जलवायु व मृदा

केला उत्पादन के लिये उष्ण तथा आर्द्र जलवायु उपयुक्त होती है। जहाँ पर तापक्रम 20-35 डिग्री सेन्टीग्रेड के मध्य रहता है वहाँ केले की खेती अच्छी तरह से की जा सकती है। वार्षिक वर्षा 150-200 से.मी. समान रूप से वितरित होना चाहिये। शीत एवं शुष्क जलवायु में भी इसका उत्पादन होता है। परन्तु, पाला एवं गर्म हवाओं (लू) आदि से काफी क्षति होती है। केले की खेती के लिए बलुई दोमट से मटियार भूमि उपयुक्त होती है, जिसका पी.एच. मान 6.5-7.5 एवं उचित जल निकास का होना आवश्यक हैं। केले की खेती अधिक अम्लीय एवं क्षारीय भूमि में नही की जा सकती है। भूमि का जलस्तर 7-8 फीट नीचे होना चाहिये।

उत्पादन तकनीक

1. कृषि जलवायु, 2. मिट्टी 3. किस्में 4. भूमि की तैयारी 3. रोपाई का समय 4. रोपाई का तरीका 5. जल प्रबंधन 6 उर्वरक 7. अनुप्रयोग की अनुसूची 8. विशेष संचालन 9. कीट और रोग प्रबंधन 10. कटाई 11. उपज

उत्तक संवर्धन (टिशू कल्चर) क्या है?

एक परखनली में बहुत नियंत्रित एवं स्वच्छ स्थितियों में पौधे के एक हिस्से या एक कोशिका समूह के उपयोग द्वारा पौधे के प्रसार को 'टिशू कल्चर' कहा जाता है।

उन्नतशील किस्में

भारत में केला विभिन्न परिस्थितियों एवं उत्पादन प्रणालियों के तहत उगाया जाता है। इसलिए किस्मों का चुनाव विभिन्न जरूरतों एवं परिस्थितियों के हिसाब से उपलब्ध कई किस्मों में से किया जाता है। लेकिन, लगभग 20 किस्में जैसे ड्वार्फ कैवेंडशि, रोबस्टा, मोन्थन पूवन, नेन्ट्रन, लाल केला, नाइअली, सफेद वेलची, बसराई, अर्धापूरी, रस्थाली, कर्पुरवल्ली, करथली, एवं ग्रैन्डनाइन आदि अधिक प्रचलित हैं। ग्रैन्डनाइन लोकप्रियता अर्जित कर रहा है तथा अच्छी गुणवत्ता के गुच्छों के फलस्वरूप पसंदीदा किस्म बन रहा है। गुच्छों में अच्छी दूरी पर, सीधे तथा बड़े आकार के फल होते है। फल में आकर्षक, एक समान पीला रंग आता है।

खेत की तैयारी

केला रोपने से पहले ढैंचा, लोबिया जैसी हरी खाद की फसल उगाएं एवं उसे जमीन में जुताई करके मिला दें। जमीन को 2-4 बार जुताई करके (राटोवेटर या हैरो)

समतल करते हुए उचित ढलाव दें। मिट्टी तैयार करते समय गोबर की खाद (कम्पोस्ट) की आधार खुराक डालकर अच्छी तरह से मिला दी जाये।

सामान्यतः 45 सेंमी ग 45 सेंमी ग 45 सेंमी के आकार के एक गड्ढे की आवश्यकता होती है। गड्ढ़ों का 10 किलो गोबर की खाद (अच्छी तरह विघटित हो), 250 ग्राम खली एवं 20 ग्राम कॉन्बोफ्यूरान मिश्रित मिट्टी से पुनः भराव किया जाता है। तैयार गड्ढ़ों को सौर विकिरण के लिए छोड़ दिया जाता है, जो हानिकारक कीटों को मारने में मदद करता है तथा मिट्टी जनित रोगों के विरूद्ध कारगर होता है। यह मिट्टी में वायु संचार में मदद करता है। नमकीन क्षारीय मिट्टी में, जहाँ पी.एच. 8 से ऊपर हो, गड्ढे के मिश्रण में संशोधन करते हुए कार्बनिक पदार्थ को मिलाना चाहिए।

तलवारनुमा पत्तियाँ

लगभग 500-1000 ग्राम वजन के सॉर्ड सकर्स, सामान्यतः प्रसार सामग्री के रूप में उपयोग किये जाते हैं। सामान्यतः, सकर्स कुछ रोगजनकों एवं नीमाटोड्स से संक्रमित हो सकते हैं। इसी प्रकार सकर की आयु एवं आकार में भिन्नता होने पर फसल एक समान नहीं होती है, फसल कटाई की प्रक्रिया लंबी हो जाती है और प्रबंध मुश्किल हो जाता है।

इसलिए, इन विट्रो क्लोनल प्रसार (टिशू कल्चर)रोपाई के लिये पौधों की सिफारिश की जाती हैं। वे स्वस्थ, रोग मुक्त, एक समान तथा प्रामाणिक होते हैं। रोपने के लिये केवल उचित तौर पर कठोर, किसी अन्य से उत्पन्न, पौधों की सिफारिश की जाती है।

टिशू कल्चर रोपाई के फायदे

- अच्छे प्रबंधन के साथ केवल मातृ पौधे
- कीट और रोग मुक्त विकसित छोटे पौधे

- एक समान बढ़त, अधिक पैदावार
- कम समय में फसल की परिपक्वता - भारत जैसे कम भूमि स्वामित्व वाले देश में जमीन का अधिकतम उपयोग संभव है।
- वर्ष भर रोपाई संभव है, क्योंकि विकसित छोटे पौधे वर्ष भर उपलब्ध कराये जाते हैं।
- कम अवधि में एक के बाद एक, दो अंकुरण संभव हैं, जो खेती की लागत कम कर देते हैं।
- बगैर अंतर के कटाई
- 95 से 98 प्रतिशत पौधें में गुच्छे लगते हैं।

रोपाई का समय

15 जून से 15 जुलाई केला रोपण के लिए सबसे उपयुक्त समय है। हालाकि टिशू कल्चर केले की रोपाई वर्ष भर की जा सकती है। सिवाय उस समय के जब तापमान अत्यन्त कम या अत्यन्त ज्यादा हो।

रोपण का तरीका

परम्परागत रूप से केला उत्पादक फसल की रोपाई 1.5 मी × 1.5 मीटर पर उच्च घनत्व के साथ करते हैं, लेकिन पौधे का विकास एवं पैदावार सूर्य की रोशनी के लिए प्रतिस्पर्धा की वजह से कमजोर हो जाते हैं। ग्रैन्डनाइन को फसल के रूप में लेकर जैन सिचाई प्रणाली अनुसंधान एवं विकास फार्म पर विभिन्न परीक्षण

किए गए थे। तदोपरांत 1.82 मी × 1.52 मी के अंतराल की सिफारिश की जा सकती है। इस पंक्ति की दिशा उत्तर-दक्षिण रखते हुए तथा पंक्तियों के बीच 1.82 मी का बड़ा अन्तर रखते हुए 1452 पौधे प्रति एकड़ (3630 प्रति हेक्टेयर) समा लेती है। उत्तर भारत के तटीय पट्टों जहां आर्द्रता बहुत अधिक है तथा तापमान 5-7° से तक गिर जाता है, रोपाई का अंतराल 2.1 मी × 1.5 मी. से कम नहीं होनी चाहिए।

जल प्रबंधन

केला पानी से प्यार करने वाला एक पौधा है। अधिकतम् उत्पादकता के लिए पानी की एक बड़ी मात्रा की आवश्यकता मांगता है। लेकिन केले की जड़ें पानी खीचने के मामले में कमजोर होती हैं। अतः भारतीय परिस्थितियों में केले के उत्पादन में दक्ष सिंचाई प्रणाली, जैसे ड्रिप सिंचाई की मदद ली जानी चाहिए। केले के पूर्णवर्धित झाड़ या पौधे को प्रति दिन 12-15 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार केले में पानी की आवश्यकता प्रति पौधा प्रति वर्ष लगभग 1800 से 2000 लीटर तक होती है। ड्रिप सिंचाई एवं मल्चींग तकनीक से जल के उपयोग की दक्षता में बेहतरी की रिपोर्ट है। ड्रिप के जरिये जल की 56 प्रतिशत बचत एवं पैदावार में 23-32 प्रतिशत वृद्धि होती है। पौधों की सिंचाई रोपने के तुरन्त बाद करें। पर्याप्त पानी दें एवं खेत की क्षमता बनाये रखें। आवश्यकता से अधिक सिंचाई से मिट्टी के छिद्रों से हवा निकल जाएगी। फलस्वरूप, जड़ के हिस्सों में अवरोध उत्पन्न होने से पौधे की स्थापना और विकास प्रभावित होंगे। इसलिए केले के उचित जल प्रबंधन के लिये ड्रिप पद्धति अनिवार्य है।

उर्वरक

केले को काफी मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जो मिट्टी द्वारा कुछ ही मात्रा में प्रदान किये जाते हैं। अखिल भारतीय स्तर पर पोषक तत्वों की आवश्यकता 20 किग्रा गोबर की खाद, 200 ग्राम नाइट्रोजन, 60-70 ग्राम फास्फोरस तथा 300 ग्राम पोटैशियम प्रति पौधा आंकी गयी है। केले की फसल को 7-8 किलोग्राम नाइट्रोजन, 0.7-1.5 किलोग्राम फास्फोरस और 17-20 किलोग्राम पोटैशियम प्रति मीट्रिक टन पैदावार की आवश्यकता होती है। पोषक तत्व प्रदान करने पर केला अच्छे नतीजे देता है। परम्परागत रूप से किसान अधिक यूरिया तथा कम फॉस्फोरस एवं पोटाश का इस्तेमाल करते हैं।

अनुप्रयोग की अनुसूची-

केले के प्रकार ग्रैन्डनाइन के टिशू कल्चर में उर्वरक की सूची नीचे तालिका में दी गई है;

कुल पोषक आवश्यकता		
नाइट्रोजन - 200 ग्राम/पौधा	फास्फोरस - 60-70 ग्राम/पौधा	पोटैशियम - 300 ग्राम/पौधा
उर्वरक की कुल आवश्यक मात्रा प्रति एकड़ (अंतराल 1.8×1.5 मी, 1452 पौधे)		
यूरिया (नाइट्रोजन)	एस.एस.पी (फास्फोरस)	एम.ओ.पी. (पोटैशियम)
431.0	375.0	500 ग्राम/पौधा
625.0	545.0	726 किलोग्राम/एकड़

विशेष संचालन

इण्टरकल्चर संचालन

केले की जड़ प्रणाली सतही है तथा बीच की फसल की खेती एवं उपयोग से आसानी से क्षतिग्रस्त हो जाती है, जो वांछनीय नहीं है। लेकिन कम अवधि की फसलें (45-60 दिन), जैसे लोबिया मूंग, मूली, गोभी इत्यादि फसलों को लिया जा सकता है। ककड़ी परिवार की फसलों से बचा जाना चाहिए क्योंकि इनमें वायरस होते हैं।

खरपतवार निकालना

पौधे को खरपतवार रहित रखने के लिये, रोपने से पहले

2 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से ग्लाइफासेट (राउंड अप) का छिड़काव किया जाता है। एक या दो बार हाथों से खरपतवार निकालना जरूरी होता है।

सूक्ष्म पोषकों का पत्तों पर छिड़काव

सूक्ष्म पोषक तत्वों के छिड़काव के लिये निम्न तालिका में दिये गये पोषक तत्वों को 100 लीटर पानी में घोल बनाकर पर्णीय छिड़काव किया जाना चाहिये।

पत्तियों को काटना

पत्तियों की रगड़ फल को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए ऐसी पत्तियों को नियमित रूप से जाँच कर काट दिया जाना चाहिए। पुराने तथा संक्रमित पत्तों को भी आवश्यकतानुसार काट दिया जाना चाहिए। हरी पत्तियों को नहीं हटाना चाहिए।

जमीन की गुड़ाई

मिट्टी को समय-समय पर गुड़ाई कर ढीला रखें। जमीन गुड़ाई का कार्य रोपाई के 3-4 महीनों बाद करें। जैसे पौधे की सतह के आसपास 10-12 इंच तक मिट्टी के स्तर को ऊपर उठाना। ऊंची क्यारी तैयार करना बेहतर होगा तथा ड्रिप लाइन क्यारी पर पौधे से 2-3 इंच दूर रखें। ऐसा करने से पौधों को वायु से नुकसान एवं उत्पादन नुकसान से कुछ हद तक रक्षा करने में मदद मिलती है।

सहारा देना

गुच्छे के भारी वजन के कारण पौधे का संतुलन गड़बड़ा जाता है तथा फलदार पौधे जमीन पर टिक सकते हैं। इससे उनका उत्पादन और गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस कारण इन्हें दो बांस के त्रिकोण सम्बल द्वारा झुकाव की ओर से तने पर सहारा दिया जाना चाहिए। यह भी गुच्छे के समान रूप से विकास में मदद करता है।

रोग एवं कीट प्रबंधन

फसल संरक्षण

पनामा बिल्ट या उकठा रोग : यह बीमारी फ्यूजेरियम अ२क्सीस्पोरम नामक फफूँद के द्वारा फैलती है। पौधे की पत्तियां मुरझाकर सूखने लगती हैं। केले का पूरा तना फट जाता है। प्रारंभ में पत्तियां किनारों से पीली पडती हैं। प्रभावित पत्तियां डण्ठल से मुड़ जाती हैं। प्रभावित पीली पत्तियां तने के चारों ओर स्कर्ट की तरह लटकती रहती हैं। आधार पर (निचले भाग) तने का फटना बीमारी का प्रमुख लक्षण है। बैस्कूलर टिश्यू जड़ों और प्रकंद में पीले, लाल एवं भूरे रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। पौधा कमजोर हो जाता है। जिसके कारण पुष्पन व फलन नहीं होता है। इस बीमारी की फफूंद जमीन में अनुकूल तापक्रम, नमी एवं पी.एच. की स्थिति में लम्बी अवधि तक रहती है।

नियंत्रणः

1. गन्ना एवं सूरजमुखी के फसल चक्र को अपनाने से बीमारी का प्रकोप कम हो जाता है।
2. सकर्स को लगाने के पूर्व 0.2 प्रतिशत बाबिस्टीन के घोल में 30 मिनट तक डुबोकर लगाना चाहिए।
3. ट्राइकोडर्मा बिरिडी जैविक फफूंद नाशक का उपयोग करना चाहिए।

लीफ स्पाट (सिंगाटोका) : यह बीमारी स्यूडोसर्कोस्पोरा म्यूसी फफूंद के कारण होती है। इस बीमारी के प्रकोप से पत्तियों में क्लोरोफिल की कमी हो जाती हैं। क्योंकि टिशू हरे से भूरे रंग के हो जाते हैं। धीरे-धीरे पौधे सूखने लगते हैं। प्रारंभ में पत्तियों पर छोटे धब्बे दिखायी देते हैं। फिर यह पीले या हरी पीली धारियों में बदल जाते हैं जो पत्तियों को दोनों सतहों पर दिखायी देते हैं। अंत में, यह धारियां भूरी एवं काली हो जाती हैं। धब्बों के बीच

का भाग सूख जाता है।

नियंत्रण : प्रभावित सूखी पत्तियों को काटकर जला देना चाहिए। फफूंद नाशक दवाऐं जैसे डाइथेन एम 45, 2 मि.ली./लीटर पानी या बाबिस्टीन 1 मि.ली. /लीटर या प्रोपीक्नोजोल 0.1 फीसदी का छिड़काव टिप२ल के साथ अक्टूबर माह से 3-4 छिड़काव 2-3 सप्ताह के अतंराल से करने से बीमारी पर नियंत्रण रखा जा सकता है।

एन्थ्रेक्नोज : यह बीमारी कोलेट्रोट्राईकम मुसे नामक फंफूद के कारण फैलती है। यह बीमारी केले के पौधे में बढ़वार के समय लगती है। इस बीमारी के लक्षण पौधों की पत्तियों, फूलों एवं फल के छिलके पर छोटे काले गोल धब्बों के रूप मे दिखाई देते हैं। इस बीमारी का प्रकोप जून से सितम्बर तक अधिक होता है क्योंकि इस समय तापक्रम ज्यादा रहता है।

नियत्रण : प्रोक्लोराक्स 0.15 प्रतिशत या कार्वेन्डिज्म 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का धोल बनाकर छिड़काव करें। केले को 3/4 (तीन चौथाई) परिपक्वता पर काटना चाहिए।

शीर्ष गुच्छा रोग (बंचीटाप) : पत्तियों की भीतरी मिडरिब की द्वितीयक नसों के साथ अनियमित गहरी (मोर्सकोड) धारियां शुरू के लक्षण के रूप मे दिखाई देती हैं। ये असामान्य लक्षण गहरे रंग की रेखाओं में एक इंच या ज्यादा लम्बे अनियमित किनारों के साथ होते हैं। पौधों का ऊपरी सिरा एक गुच्छे का रूप ले लेता है। पत्तियां छोटी व संकरी हो जाती हैं। किनारे ऊपर की ओर मुड़ जाते हैं। डंठल छोटे व पौधे बौने रह जाते हैं, और फल नहीं लगते हैं। इस बीमारी के विषाणु का वाहक पेन्टोलोनिया नाइग्रोनरवोसा नामक माहू है।

नियन्त्रण :

- रोग ग्रसित पौधों को निकालकर नष्ट कर देना चाहिये।
- रोग वाहक कीट नियंत्रण के लिये मेटासिस्टोक्स 1. 25 मि.ली. या डेमेक्रान 0.5 मि.ली. दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिये।
- रोग रहित सकर्स का चुनाव करें।

केले का धारी विषाणु रोग : इस बीमारी के कारण प्रारंभ में पौधों की पत्तियों पर छोटे पीले धब्बे दिखायी देते हैं जो बाद में सुनहरी पीली धारियों मे बदल जाते हैं। क्लोरोटिक धारियां पत्तियों के लेमिना पर काला रूप लिये नेक्रोटिक हो जाती हैं। घेर का बाहर न निकलना, बहुत छोटी घेर निकलना एवं फलों में बीज का विकास प्रभावित पौधों के प्रमुख लक्षण हैं। इस रोग का विषाणु मिलीबग एवं प्लेनोकोकस सिट्री के द्वारा फैलाया जाता है।

नियंत्रण : प्रभावित पौधों को निकालकर नष्ट कर देना चाहिये तथा मिलीबग के नियंत्रण के लिये कार्बोफ्यूरान की डेढ़ किलो ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन में डालें।

कीट एवं उनका नियंत्रण

केला प्रकंद छेदक (राइजोम बीबिल) : यह कीट केले के प्रकंद में छेद करता है। इसकी इल्ली प्रकंद के अन्दर छेद करती है। परन्तु वह बाहर से नहीं दिखायी देती है। कभी-कभी केले के स्यूडोस्टेम में भी छेद कर देता है। इन छिद्रों में सड़न पैदा हो जाती है।

नियंत्रण : प्रकंदों को लगाने से पहले 0.5 फीसदी मोनोक्रोटोफास के घोल में 30 मिनट तक डुबोकर उपचारित करें। अत्यधिक प्रकोप होने पर 0.03 फीसदी फास्फोमिडान के घोल का छिडकाव करें।

तना भेदक : तना भेदक कीट का मादा वयस्क पत्तियों के डंठलों में अण्डे देती है। जिससे इल्ली निकलकर पत्तियों एवं तने को खाती है। प्रारंभ में पौधे के तने से रस निकलता हुआ दिखायी देता है। फिर कीट की

लार्वा द्वारा किये गये छिद्र से गंदा पदार्थ पत्तियों के डंठल पर बूंद-बूंद टपकता है जिससे तने के अन्दर निकल रहे पुष्प प्रोमोडिया शुष्क हो जाता है। इसका प्रकोप वर्ष भर होता रहता है।

नियंत्रणः

- मोनोक्रोटोफास की 150 मि.ली. मात्रा 350 मि. लीटर पानी मे घोलकर तने में इंजेक्ट करें।
- घेर को काटने के बाद पौधों को जमीन से काटकर कीट नाशक दवा कार्वोरिल 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर छिड़-काव करने से अंडे व कीट नष्ट हो जाते हैं।

माहू : यह कीट केले की पत्तियों का रस चूसकर उन्हें हानि पहुंचाता है तथा बंचीटाप वायरस को फैलाने का प्रमुख वाहक है। इस माहू का रंग भूरा होता है जो पत्तियों के निचले भाग या पौधों के शीर्ष भाग से रस चूसता है।

नियन्त्रण : फास्फोमिडान 0.03 फीसदी या मोनोक्रोटोफास 0.04 फीसदी के घोल का छिडकाव करें।

थ्रिप्स : तीन प्रकार की थ्रिप्स केला फल (फिंगर) को नुकसान पहुंचाती है। थ्रिप्स प्रभावित फल भूरा, बदरंग, काला तथा छोटे-छोटे आकार के आ जाते हैं। यद्यपि फल के गूदे पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता पर इनका बाजार भाव ठीक नहीं मिलता।

नियंत्रण : मोनोक्रोटोफास 0.05 फीसदी का घोल बनाकर छिड़काव करें तथा मोटे कोरे कपड़े से गुच्छे को ढंकने से भी कीट का प्रकोप कम होता है।

पत्ती खाने वाली इल्ली : इस कीट की इल्ली नये छोटे पौधों की बिना खुली पत्तियों को खाती है। पत्तियों मे नये छेद बना देती है।

नियंत्रण : थायोडान 35 ई. सी. का छिड़काव (1.5 मि. ली. प्रति लीटर पानी) पत्तियों पर करने से प्रभावी नियंत्रण देखा गया है।

उपज

रोपी गई फसल 11-12 महीनों के भीतर कटाई के लिए तैयार हो जाती है। पहली रेटून फसल मुख्य फसल की कटाई के 8-10 महीनों में तथा दूसरी रेटून, द्वितीय फसल के 8-9 महीनों बाद तैयार हो जाती है।

इसलिये 28-30 महीनों की अवधि में तीन फसलों की कटाई संभव है। यानी, एक मुख्य फसल एवं दो रेटून फसलें। ड्रिप सिंचाई के साथ फर्टिगेशन के तहत, केले की 100 टन/हेक्टेयर जितनी उंची पैदावार टिशू कल्चर की सहायता से ली जा सकती है। यदि फसल का अच्छा प्रबंधन किया जाए तो रेटून फसल में भी समान पैदावार ली जा सकती है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में साक्षरता के द्वारा महिलाओं का सशक्तीकरण - एक पहल

साक्षरता एक मानव अधिकार है। सशक्तीकरण का मार्ग है तथा समाज और व्यक्ति के विकास का साधन है। साक्षरता, समाज और व्यक्ति के विकास की बुनियाद है। इसके अतिरिक्त, शिक्षा के अवसर साक्षरता पर ही निर्भर करते हैं। अधिकतर सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार महिलायें देश की आधी आबादी हैं अर्थात्, देश के मानव संसाधन का 50 प्रतिशत महिलायें है। लेकिन उनका असाक्षर होना उनसे देश की उन्नति और विकास का हिस्सा बनने का न केवल अवसर छीन लेता है बल्कि उनकी स्वयं की उन्नति के सारे मार्ग बंद कर देता है। इसका अर्थ यह हुआ कि महिलाओं का असाक्षर होना देश के विकास की धीमी गति का सबसे बड़ा कारक है। इसके अतिरिक्त, दूसरी बात यह भी है कि केवल महिलाओं का साक्षर होना ही पर्याप्त नही है अगर वे उस साक्षरता का इस्तेमाल दैनिक काम करने के लिए नही कर रही हैं तो इसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पडता है।

महिला सशक्तीकरण क्या है ?

महिला सशक्तीकरण महिलाओं में भौतिक या आध्यात्मिक, शारीरिक या मानसिक, सभी स्तर पर आत्मविश्वास पैदा कर उन्हें सशक्त बनाने की प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत महिलाओं से जुड़े सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और कानूनी मुद्दों पर संवेदनशीलता और सरोकार व्यक्त किया जाता है। सशक्तीकरण की प्रक्रिया में समाज को पारंपरिक पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण के प्रति सचेत किया जाता है क्योंकि समाज में महिलाओं की स्थिति को सदैव कमतर माना जाता रहा है।

महिला सशक्तीकरण तथा साक्षरता का अविभाज्य जुड़ाव

महिला सशक्तिकरण की जब भी बात की जाती है तब सिर्फ राजनीतिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण पर चर्चा होती है, पर सामाजिक सशक्तीकरण की चर्चा नहीं होती। ऐतिहासिक रूप से महिलाओं को दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता रहा है। प्रश्न यह है कि सामाजिक सशक्तीकरण का जरिया क्या हो सकता हैं? इसका जवाब बहुत ही सरल, पर लक्ष्य कठिन है। साक्षरता ही एकमात्र ऐसा हथियार है, जो सामाजिक विकास की गति को तेज करता है। समानता, स्वतंत्रता के साथ-साथ एक साक्षर महिला या पुरूष ही अपने कानूनी अधिकारों का बेहतर उपयोग भी करता है और वही व्यक्ति राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त भी होता है। साक्षरता, अनेक क्षेत्रों जैसे रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा में समान अवसर, संवैधानिक अधिकारों की पहुंच व जानकारी हेतु भी आवश्यक है। साक्षरता, एक महिला में आत्मविश्वास एवं स्वयं के लिए आत्मनिर्भरता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। प्रमुख रूप से गाँव में इन विचारों का व्यापक रूप से प्रभाव पड़ता है। साक्षरता गरीब महिलाओं के विकास हेतु एक महत्वपूर्ण साधन है। यह सत्य है कि मात्र साक्षर होने से किसी भी महिला या पुरूष का सर्वांगीण विकास कर पाना संभव नही है। लेकिन एक ग्रामीण महिला के संदर्भ में इस

सत्य अनुभव को भी नकारा नही जा सकता है कि एक साक्षर महिला को जब सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी होती है तो कई बार मात्र उनके साक्षर होने के चलते उनके समक्ष रोजगार की नई संभावनाएं खुल जाती हैं। महिला द्वारा अर्जित आय का उपभोग समस्त परिवार द्वारा किया जाता है। अतः परिवार में भी महिला के सम्मान का स्तर ऊंचा होता है। महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए साक्षरता प्रथम एवं मूलभूत साधन है इसके माध्यम से महिलायें परिवार, समाज तथा देश में सशक्त, समान एवं महत्वपूर्ण भूमिका दर्ज करा सकती हैं।

अगर महिलाओं के असाक्षर होने के कारणों पर नजर डालें तो वे कारण कुछ इस प्रकार हैं;

1. विकासोन्मुख राष्ट्र में गरीबी, सम्पत्ति जैसे जोत भूमि पर पितृसत्तात्मक अधिकार, लैंगिक भेदभाव, सामाजिक विकृति, अन्धविश्वास, आर्थिक आदि कारणों से बालिकायें विद्यालय में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पातीं।
2. समाज में महिला को घर एवं पति के प्रति सम्पूर्ण समर्पण को उत्तम पत्नी, मां तथा पुत्री के विशेषण के रूप में माना जाता है।
3. महिलाओं को संगठित होकर अन्याय के प्रति लड़ने को कभी प्रोत्साहित नहीं किया जाता वरन् प्रताड़ित महिला से अपेक्षा की जाती है कि इन समस्याओं का विरोध न करना ही उसका वास्तविक धर्म है। अन्याय को निर्विकार भाव से सहन करना एवं परंपरा एवं रूढ़ि के प्रति उन्मुख होना ही उसके लिए सम्माननीय माना जाता है।
4. महिलाा की दयनीय छवि बनाने में रूढ़िवादी सामाजिक परिवेश भी काफी हद तक उत्तरदायी है।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि महिला साक्षरता आज के समय में जब हम सभी डिजीटल भारत का सपना संजोए हुए है हमारे देश की बुनियादी आवश्यकता है। लीला मीहेनडल के अनुसार महिला सशक्तीकरण 'निडरता, सम्मान और जागरूकता तीनों शब्द महिला सशक्तीकरण के पर्याय हैं। महिला सशक्तिकरण की अवधारणा बहुआयामी है। यह कोई पुरूष निरपेक्ष नहीं बल्कि सापेक्ष विमर्श है और इसके लिए पुरूषों को भी आगे आना होगा। महिलाओं के सामाजिक सशक्तीकरण में साक्षरता की अहम् भूमिका है। शिक्षा एक ऐसी सम्पत्ति है जिसे न छीना जा सकता है और न ही बांटा जा सकता है। दूसरी ओर ऐसा हथियार भी है जिसके बल पर कोई भी युद्ध लड़ा जा सकता है, अब चाहे वह शोषण, असमानता, अन्याय, अनाचार के विरूद्ध ही क्यों ना हो।

परियोजना का कार्यक्षेत्र

यह परियोजना तीन जिलों क्रमशः बलरामपुर, श्रावस्ती तथा महाराजगंज में कृषि परियोजना के साथ समेकित रूप से संचालित की जा रही है। इस एकीकृत परियोजना के तहत महिलाओं की प्रभावी भूमिका को स्थापित करने के हेतु कुछ विशेष उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं जो निम्नलिखित हैं-

- महिला साक्षरता का अर्थ निरक्षर महिलाओं को पढने-लिखने के लायक बनाना और उनको निरन्तर अभ्यास के द्वारा सक्षमता प्रदान करना।
- अक्षर पहचान कराने के साथ उन्हें लिखने, पढने तथा अन्य संबंधित मुद्दों व विषयों पर समय-समय पर चर्चा के द्वारा उन्हें जागरूक करना और उनकी जनचेतना में अभिवृद्धि करना।
- समस्याओं के समाधान हेतु सही विकल्प का चुनाव करना तथा निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना।

परियोजना के महत्वपूर्ण घटक

→ कार्यात्मक साक्षरता
→ मानक भाषा में शिक्षा
→ शिक्षिका व्यवस्था
→ प्रशिक्षण
→ अध्ययन सामग्री
→ विशेष साक्षरता शिविर
→ महिलानुकूल स्थान की व्यवस्था तथा समय का निर्धारण

साक्षरता के द्वारा महिलाओं को सशक्त करने हेतु कार्यक्रम क्रियान्यवयन की रणनीति

- साक्षरता केन्द्र पर महिला संबंधी कानूनी साक्षरता, वित्तीय साक्षरता शिविर एवं सरकारी योजना जागरूकता शिविरों का नियमित आयोजन।
- महिला साक्षरता हेतु अनुकूल वातावरण निर्माण हेतु बैठकों द्वारा परिवारिक तथा सामुदायिक लामबंदीकरण करना।
- नवसाक्षर महिलाओं में आत्मविश्वास, उत्साह एवं जागरूकता का संचार करना।
- स्वयं सहायता समूहों द्वारा महिला साक्षरता केन्द्रों के अनुश्रवण की विशेष व्यवस्था।
- महिला साक्षरता केन्द्र का ब्लाक तथा जिला स्तर पर कृषि विभाग, महिला बाल विकास पुष्टाहार विभाग, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण बोर्ड, महिला विधिक सहायता प्रकोष्ठ एवं पुलिस विभाग के साथ समन्वय स्थापित करना।
- वातावरण निर्माण के लिए महिला साक्षरता व सशक्तीकरण के मुद्दों पर विशेष महिला कलाजत्थों के द्वारा जन जागरूकता करना।

महिलाओं के कुछ ऐसे अनुभव जो हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत बने

महिला ने शिक्षण के प्रति अपनी प्रशंसनीय प्रगाढ़ता का परिचय दिया है। एक बार यह विश्वास हो जाने पर कि शिक्षा हेतु दिया गया समय उनके लिए उपयोगी हो सकता है एवं उनके सामाजिक संदर्भ में यह संभव है, उन्होंने केन्द्र में आने में कोई हिचक नहीं दिखाई। यहॉ तक कि कुछ महिलाओं को अत्यधिक उपहास, रूढ़िवादिता एवं शारीरिक प्रताड़ना का भी सामना करना पड़ा, फिर भी वे आईं।

परियोजना के अन्तर्गत संचालित हो रहे कार्यक्रमों की कुछ झलकियां

किसानों की उद्यमशीलता लेहड़ा एग्रो प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड- एक पहल

लेहडा एग्रो प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड किसानों द्वारा गठित एक कम्पनी है जिसका उद्देश्य सफल, लागत के हिसाब से कारगर एवं टिकाऊ संसाधनों के माध्यम से कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना तथा कृषि उपज से किसानों विशेषकर छोटे व सीमांत किसानों को अधिकाधिक लाभ दिलाना है। यह प्रयास निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के लिये एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। यह कार्य विषम कृषि पारिस्थितिकी वाले संभागों में और भी कठिन हो जाता है। उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी कृषि संभाग में अनाजों व दालों की उत्पादकता प्रदेश औसत से कम है। मानसून के समय में बाढ़ प्रभावित इस कृषि संभाग में बाढ़ एवं जल भराव के कारण एक बड़े क्षेत्र में खरीफ की फसलें तथा विलम्ब से बुवाई के कारण रबी मौसम की फसलें प्रायः प्रभावित होती हैं। जिससे छोटे तथा सीमांत किसानों की कृषि आधारित आजीविका दयनीय हो जाती है। अपने परिवार के भरण पोषण के लिये भूमिहीन मजदूरों के साथ ही इन किसान परिवारों के तमाम सदस्य रोजी रोटी की तलाश में महानगरों व शहरों की तरफ पलायन करने के लिये विवश हो जाते हैं।

उपरोक्त परिस्थितियों का आंकलन करते हुये ग्रामीण डेवलेपमेण्ट सर्विसेज (जी.डी.एस.) ने वर्ष 2004 में महराजगंज जनपद के फरेन्दा व उसके आसपास के क्षेत्रों में खरीफ मौसम के लिये धान की अल्पावधि तथा प्रकाश असंवेदनशील प्रजाति नरेन्द्र-97 की खेती करने के लिये किसानों को प्रोत्साहित किया जिसका परिणाम काफी उत्साहवर्धक रहा। परन्तु आगे चलकर इस धान के बीज की व्यापक मांग को देखते हुये यह आवश्यक हो गया कि बीज उत्पादन का कार्य स्थानीय स्तर पर किसानों द्वारा ही किया जाये। इस समय तक क्षेत्र में जी.डी.एस. द्वारा समुदाय की सहायता से विभिन्न उद्देश्यपरक समुदाय आधारित समूहों की स्थापना की जा चुकी थी तथा किसान परिवारों को संगठित करने का एक माहौल बन चुका था। बस फिर क्या था? इन्ही समूहों की मदद से वर्ष 2006 में कृषि संसाधन केन्द्र की स्थापना की गयी जिसके माध्यम से किसानों द्वारा गुणवत्तायुक्त बीज उत्पादन तथा अन्य किसानों को उसे उपलब्ध कराने का कार्य प्रोत्साहित किया जाने लगा। परन्तु सफल खेती के लिये बीज के साथ ही साथ अन्य कृषि गुणवत्तापरक निवेशों जैसे उर्वरक, कीटनाशक इत्यादि की उपलब्धता भी एक चुनौती महसूस की गयी क्योंकि फसल लगाने के समय मांग अधिक होने एवं आपूर्ति की कमी की वजह से स्थानीय श्रोतों से विश्वसनीय उपरोक्त कृषि निवेशों का मिल पाना कठिन हो जाता है। अतः यह आवश्यक हो गया कि कृषि संसाधन केन्द्र द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का विस्तार किया जाये तथा इसके सुचारू संचालन हेतु स्ववित्त पोषण की व्यवस्था की जाये परन्तु इसके लिये केन्द्र द्वारा लाभार्जन करना आवश्यक था।

लेहड़ा एग्रो प्रोड्यूसर्स कम्पनी लिमिटेड (एल.ए.पी.सी.एल.)

इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु जी.डी.एस. की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में किसानों की पहल से कृषि संसाधन केन्द्र

की सेवाओं को उनके हित में विस्तारित करते हुये एक कृषि व्यावसायिक प्रतिष्ठान लेहड़ा एग्रो प्रोड्यूसर्स कम्पनी लिमिटेड की स्थापना महराजगंज जनपद के अन्तर्गत फरेन्दा में की गयी। पूर्णरूपेण किसानों की स्वामित्व वाली इस लाभार्जन वाली कम्पनी का पंजीकरण 17 जून, 2010 को भारतीय कम्पनीज एक्ट 1956 (संशोधन 2002) के अन्तर्गत किया गया है। प्रारम्भिक तौर पर एल.ए.पी.सी.एल. द्वारा बीज उत्पादन, प्राप्ति, प्रमाणन, भंडारण एवं मांग के अनुसार आपूर्ति का उद्यम शुरू किया गया जिसमें कम्पनी के शेयर धारकों को प्राथमिकता दी जाती है। इस प्रकार इसके खुदरा व्यापार के अन्तर्गत गुणवत्तायुक्त प्रमाणित बीजों, उर्वरकों, कृषि रसायनों व औजारों की उपलब्धता पर ध्यान दिया गया है। अभी तक महराजगंज, गोरखपुर एवं सिद्धार्थनगर जिलों के 5 विकास खण्डों के कुल 101 गाँव में रहने वाले 661 छोटे किसान शेयर धारक के रूप में कम्पनी से जुड़ चुके हैं। इनमें लगभग दो तिहाई किसान महराजगंज जिले के फरेन्दा, धानी व ब्रिजमन गंज विकास खण्डों से हैं। इस विधिमान्य कम्पनी के शेयर धारकों में लगभग 27 प्र0श0 महिलायें हैं।

किसानों की इस कम्पनी का कुशल संचालन दस सदस्यों वाले एक निदेशक मण्डल (Board of Directors) के द्वारा कुछ वेतन भोगी कर्मियों की सहायता से किया जाता है। निदेशक मण्डल के सभी किसान सदस्य वर्तमान समय में अवैतनिक सेवायें प्रदान करते हैं। कम्पनी से सम्बन्धित नीति निर्धारण, निर्णय, नियन्त्रण एवं उचित मार्गदर्शन के लिये निदेशक मण्डल जिम्मेदार है। इस प्रकार की व्यावसायिक कम्पनी के संचालन हेतु आवश्यक अनुभव एवं दक्षता प्रदान करने के उद्देश्य से जी0डी0एस0 द्वारा अन्य विकासपरक संस्थाओं के सहयोग से क्षमतावर्धन के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये। यही नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (IRRI) टाटा ट्रस्ट्स, माइक्रोसेव, इको (ICCO) जैसी संस्थाओं की आर्थिक एवं तकनीकी बाह्य सहायता से कम्पनी का सुगम संचालन निश्चित किया जा सका।

बीज प्रमाणन एवं विपणन

बीज उत्पादन का कार्य उ0प्र0 सरकार के बीज प्रमाणन कार्यालय, गोरखपुर के दिशा निर्देशों के अनुरूप पंजीकृत किसानों द्वारा किया जाता है। इन बीज उत्पादकों को विभाग के विशेषज्ञों द्वारा समय-समय पर क्षेत्र आधारित प्रशिक्षण एवं तदनुसार प्रगति पर्यवेक्षण जारी रहता है। किसानों से प्राप्त बीज उपज को तकनीकी ढंग से ग्रेडिंग करके बीज प्रमाणन के लिये बीज प्रमाणन कार्यालय, गोरखपुर को प्रस्तुत कर दिया जाता है। इस प्रकार एक निश्चित प्रक्रिया के माध्यम से गुणवत्तापरक बीजों का उत्पादन, भण्डारण एवं विक्रय सुनिश्चित किया जाता है।

बीजों की पैकेजिंग

अन्तर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (IRRI) द्वारा भण्डारण के लिये बनाये गये विशेष प्रकार के सुपर गनी बैग यानी उत्तम किस्म के थैलों के प्रयोग की भी आजमाइश की जा रही है जिससे बीज का सुरक्षित भण्डारण किया जा सके तथा किसी भी तरह से उसकी

गुणवत्ता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। किसानों को बीज की उपलब्धता को सुगम बनाने की दृष्टिकोण से स्थानीय स्तर पर ही गोदामों की व्यवस्था की गयी है। ज्यादातर छोटे किसान होने के कारण बीजों की आपूर्ति 5 या 10 कि.ग्रा. की पैकिंग में करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त दलहन, तिलहन एवं सब्जियों के बीज की आपूर्ति के लिये इससे भी छोटी पैकिंग की व्यवस्था की गयी है। बुवाई के समय किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीज उचित मूल्य पर उपलब्ध करा दिये जाते हैं। परन्तु ऐसा बीजों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। इसलिये पहले मॉग करने वाले एवं शेयरधारक किसानों को प्राथमिकता दी जाती है।

सभी के लिये लाभप्रद प्रयास

कम्पनी के व्यवसाय से होने वाला लाभ अन्ततः इसे जुड़े हुये किसानों का ही लाभांश है परन्तु इस प्रयास के फलस्वरूप छोटे किसानों को विश्वसनीय श्रोत से उत्तम किस्म के बीज मिलना आसान हो गया जिससे क्षेत्र में बीज प्रतिस्थापन दर में भी सकारात्मक बढ़ोत्तरी हुयी है। बीज उत्पादक किसानों को अपने उत्पाद का अपेक्षतया अधिक मूल्य प्राप्त होता है तथा स्थानीय स्तर पर अन्य किसानों में उनके कृषि उत्पाद की वजह से एक अलग पहचान बनती है। बीज वाली उपज का सामान्य उपज की अपेक्षा मूल्य प्रति कि.ग्रा. कम से कम दो या तीन रूपये अधिक मिलता है तथा मॉग भी अधिक रहती है।

यही नही, बीज उत्पादकों के अतिरिक्त ग्राहक किसानों को बीज तथा अन्य निवेशों की आपूर्ति के साथ ही उन्हें फसल बुवाई से लेकर प्रबन्धन तक समय-समय पर विषय विशेषज्ञों/सहयोगी संस्थाओं के सहयोग से यथावश्यक कृषि तकनीकी की जानकारी भी दी जाती है जो अन्य स्थानीय विक्रेताओं से बमुश्किल या नही मिल पाती। कम्पनी के इस उपयोगी प्रयास से किसानों की फसल की लागत में कमी होने के साथ ही 20 से 25 प्रतिशत तक औसत पैदावार बढ़ी है। इस प्रकार, यह प्रयास केवल कम्पनी के व्यावसायिक लाभार्जन पर केन्द्रित न होकर बल्कि किसानों की कृषि उपज से प्राप्त होने वाली उनकी आमदनी भी बढ़ाना है।

कम्पनी का व्यवसाय एक नजर में

शुरूआती दौर में कम्पनी ने स्थापना सम्बन्धी औपचारिकताओं तथा संचालन दक्षताओं की तरफ अपना ध्यान केन्द्रित रखा परन्तु शीघ्र ही व्यावसायिक जिम्मेवारियों को निभाते हुये सहयोगी संस्थाओं की मदद से बीज तथा अन्य कृषि निवेशों के विपणन का कार्य जारी कर दिया। वर्ष 2014-15 मे कम्पनी ने रू. 16,23,628/-, वर्ष 2015-16 मे रू. 70,84,892/- एवं वर्ष 2016-17 मे रू. 17,37,663/- का व्यवसाय किया है। माह अगस्त, 2016 मे कम्पनी ने अपना एक किसान सेवा केन्द्र (बिक्री केन्द्र) की शुरूआत लेहड़ा बाजार मे किया। इस केन्द्र से कृषि संबन्धित अन्य सेवाओं का भी विस्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराये गये बीज, खाद एवं अन्य कृषि आपूर्ति की गुणवत्ता से किसानों के सन्तुँट होने के कारण मॉग काफी बढ़ी है। अपनी व्यावसायिक सेवाओं के विस्तार के अन्तर्गत केवल बीज, उर्वरकों,

कृषि रसायनों की श्रेणी बढ़ाने की बात ही नही है अपितु विपणन क्षेत्र यानि कि नयी बाजारों तथा किसानों तक पहुँच बनाना भी है। इसी क्रम में कम्पनी द्वारा जी0डी0एस0 के साथ ही इस संभाग में कृषक हितार्थ सक्रिय अन्य संस्थाओं से सम्पर्क करके अपने विक्रय उत्पादों को अन्य क्षेत्रों में पहुँचाने का निरन्तर प्रयास किया जा रहा है।

उत्तम कोटि के बीज प्राप्त करने के लिये प्रसंस्करण एक आवश्यक विधा है जिसके लिये कम्पनी द्वारा स्वयं अपनी प्रसंस्करण इकाई की स्थापना का प्रयास प्रगति पर है जिससे कम लागत पर निर्धारित समय-सीमा में खरीदे गये बीजों का प्रसंस्करण एवं निर्धारित मानक के अनुसार श्रेणी विभाजन किया जा सके। ऐसा होने पर परिवहन में होने वाले व्यय एवं समय में कमी आयेगी जिसका सीधा असर बीजों के मूल्य पर पड़ेगा। सामानों की उपलब्धता को किसानों तक सुगम बनाने की दृष्टिकोण से स्थानीय स्तर पर सामुदायिक संगठनों की भी मदद ली जाती है।

सम्पर्क सूत्र

कार्यालय
म0नं0 – 2, वार्ड सं0 –6,
सिविल लाइन्स, फरेन्दा (आनन्द नगर)
जिला– महराजगंज(उ0प्र0) – 273 155
सम्पर्क (मोबा0) : 9451979248, 9688774934
ई–मेल : lapcl.lehraseeds@gmail.com
maharajganj@gds.org.in
वेबसाइट : lapcl.co.in

प्रतिष्ठान
लेहडा एग्रो प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड,
ग्राम व पोस्ट – लेहडा , करमहां रोड, लेहडा स्टेशन
जिला– महराजगंज(उ0प्र0) – 273 155
सम्पर्क (मोबा0) : 9451979248, 9688774934
ई–मेल : lapcl.lehraseeds@gmail.com
maharajganj@gds.org.in
वेबसाइट : lapcl.co.in

विनम्र निवेदन

प्रिय पाठकगण,

आपकी सेवा में समर्पित आजीविका वार्ता के प्रकाशन को अधिक उपयोगी बनाने हेतु हमें आपके बहुमूल्य सुझाव की प्रतीक्षा है। विश्वास है, आपका सहयोग एवं सुझाव हमें अवश्य प्राप्त होगा। आप हमसे लखनऊ स्थित हमारे "आजीविका संसाधन केन्द्र" पर कार्य दिवस में सम्पर्क कर सकते हैं।

आजीविका संसाधन केन्द्र
बी-1/84, सेक्टर-बी, अलीगंज, लखनऊ - 226 024 (उ0प्र0)
ई-मेल : rc@gds.org.in

सम्पादक मण्डल

गाँवों में स्वास्थ्य रक्षा हेतु शौचालय निर्माण

"हम, 02 अक्तूबर को भारत को स्वच्छ बनाने के लिये बड़े स्तर पर जन आदोलन "स्वच्छ भारत अभियान" आरम्भ कर रहे हैं। वर्ष 2019 में जब हम बापू की 150वीं जयंती मना रहे होंगे तो एक स्वच्छ भारत उनको सच्ची श्रद्धांजली होगी। महात्मा गांधी ने अपना पूरा जीवन स्वराज्य प्राप्ति के लिये अर्पित कर दिया, अब समय आ गया है कि हम अपनी मातभूमि की स्वच्छता के लिये स्वयं को समर्पित कर दें।" (25 सितम्बर, 2014)

नरेन्द्र मोदी, प्रधान मन्त्री

मानव जीवन में स्वच्छता तथा स्वास्थ्य का एक दूसरे से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। भारत जैसे विकासशील देशों में अस्वच्छता के कारण अनेक प्रकार की बीमारियॉ पैदा होती हैं। इन बीमारियों का इलाज कराने में सम्बन्धित परिवारों विशेषकर कम आय वाले तथा स्वास्थ्य सुविधाओं तक कठिनाई से पहुँच पाने वाले ग्रामीण परिवारों की सामाजिक-आर्थिक दशा काफी दयनीय हो जाती है। समुचित इलाज न हो पाने की स्थिति में उन्हें इसके गम्भीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। सरकारी तौर पर स्वच्छता को बढ़ावा देने की शुरूआत वैसे तो वर्ष 1986 से हो चुकी थी परन्तु इसे वर्ष 1999 में एक जन आधारित 'सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान' कार्यक्रम के रूप में लागू किया गया। इसकी उपलब्धियों से प्रेरित होकर स्वच्छता कार्यक्रम को ग्रामीण क्षेत्र में व्यापक रूप से लागू करने तथा संतृप्ति की अवस्था तक पहुँचाने के उद्देश्य से वर्ष 2012 में निर्मल भारत अभियान प्रारम्भ किया गया।

इस प्रकार विगत एक दशक से सरकार द्वारा सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम की दिशा में काफी कोशिशें करने के बावजूद स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टिकोण से लोगों द्वारा स्वच्छता अपनाने जाने के लिये बहुत कुछ करना बाकी है। जागरूकता में कमी तथा परम्परागत व्यवहार पद्धति के कारण खुले में शौच जाने की आदत को समाप्त करना अभी भी एक चुनौती बनी है। वर्ष 2011 में हुई जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है कि उपरोक्त प्रयासों के फलस्वरूप कुल एक तिहाई से भी कम (32.7 प्रतिशत मात्र) परिवार स्वच्छता सुविधाओं तक पहुँच पाये हैं। अभी भी लगभग दो तिहाई परिवारों वाली बड़ी ग्रामीण जनसंख्या तक स्वच्छता सुविधायें पहुँचाना है। केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से 2 अक्टूबर, 2014 से चलाया जा रहा **स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)** इस चुनौती से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है जिसका समयबद्ध लक्ष्य है कि भारत वर्ष 2019 तक खुले में शौच से मुक्त वाला देश बने। परन्तु यह विचारणीय विंाय है कि शौचालय निर्माण के लिये केवल सरकारी पहल ही पर्याप्त नही है अपितु इसमें पूरे समाज की भागेदारी जरूरी है। इसके लिये सरकारी संस्थाओं के अतिरिक्त निजी क्षेत्र, उद्योग जगत, गैर सरकारी संस्थाओं, विकास एजेन्सियों इत्यादि के साथ ही समुदाय की प्रतिभागिता आवश्यक है जिससे यह आपूर्ति प्रेरित न होकर बल्कि मांग आधारित कार्यक्रम के रूप में समुदाय द्वारा स्वीकार किया जाय।

शौचालय निर्माण की सोच आवश्यक

स्वच्छता मानव की सोच तथा तदनुसार आचरण से जुड़ा मुद्दा है। अतः सबसे पहले शौचालय निर्माण के पक्ष में सोच बदलनी आवश्यक है। खुले में शौच करने की

आदत किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार के सन्दर्भ में एक विचारणीय सामाजिक समस्या है जिससे सभी दिन-रात प्रभावित होते रहते हैं। महिलाओं के सन्दर्भ में यह एक अधिक संवेदनशील समस्या है जिसे आम तौर पर गम्भीरता से नहीं लिया जाता है। इससे जहाँ एक ओर उनका स्वास्थ्य प्रभावित होता है वहीं दूसरी ओर सामाजिक अपमान की स्थिति का सामना करना पड़ता है। इससे सम्बन्धित अनेक मामले आये दिन समाज में घटित होते रहते हैं। जिससे सम्बन्धित महिलाओं, उनके परिवार, सरकारी व्यवस्थाओं के साथ ही स्थानीय लोगों की समस्यायें बढ़ जाती हैं।

शौचालय निर्माण के अतिरिक्त दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा उसके उपयोग करने सम्बन्धी आचरण से जुड़ा है। प्रायः कई मामलों में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में यह देखा गया है कि शौचालय होते हुये भी लोग इसका उपयोग न करके खुले में शौच करते हैं। निर्माण में कमी जैसे इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं, परन्तु यदि वह व्यक्ति अथवा परिवार खुले में शौच न करने के लिये मानसिक तौर पर संवेदित है तो शौचालय निर्माण अवश्य करेगा। यद्यपि व्यक्तिगत स्तर पर समुचित स्थान की कमी अथवा व्ययभार वहन की असमर्थता की स्थिति में सामुदायिक शौचालय भी एक विकल्प हो सकता है किन्तु ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार के शौचालयों का सुचारू प्रबन्धनतंत्र विकसित करना आसान नहीं होगा। यदि ऐसा करना सम्भव हो तो इससे सामुदायिक विकास की भावना पैदा करने के साथ ही अन्य नवाचारों के बारे में सोचा जा सकता है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत शौचालय निर्माण

- **(लाभार्थी)**

  इसके अन्तर्गत मांग आधारित व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण लाभार्थी द्वारा स्थल चयन के उपरान्त किया जायेगा। व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण दो गड्ढों के साथ किया जायेगा। इसमें शौचालय का ढाँचा, दरवाजा तथा छत की भी व्यवस्था होगी। मिशन के तहत देय वित्तीय प्रोत्साहन राशि निम्नलिखित श्रेणी के लाभार्थियों को दी जायेगी;

  1. गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले सभी परिवार।
  2. गरीबी रेखा के ऊपर (APL) जीवन यापन करने वाले चयनित निम्नलिखित श्रेणी के परिवार;
     - ❑ अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति।
     - ❑ लघु एवं सीमांत किसान।
     - ❑ भूमिहीन खेतिहर मजदूर।
     - ❑ शारीरिक रूप से विकलांग।
     - ❑ महिला मुखिया।

  इसके अतिरिक्त गरीबी रेखा के ऊपर (APL) जीवन यापन करने वाले अन्य परिवारों को अपने स्वयं के वित्तीय संसाधन से अथवा वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर शौचालय निर्माण करने के लिये प्रेरित किया जायेगा।

- **सरकारी वित्तीय प्रोत्साहन**

  योजनान्तर्गत चयनित व्यक्तिगत परिवार द्वारा शौचालय निर्माण तथा उसके उपयोग के उपरान्त उसे सम्बन्धित ग्राम पंचायत की ग्राम निधि के माध्यम से प्रत्येक शौचालय निर्माण के लिये निम्नलिखित सरकारी प्रोत्साहन धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी;

प्रोत्साहन अंशदान	अंशदान की राशि (रू0)	
	अन्य सभी राज्यों के लिये	उत्तर पूर्वी राज्यों, विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों तथा जम्मू-कश्मीर के लिये
केन्द्र सरकार	9,000/-	10,800/-
राज्य सरकार	3,000/-	1,200/-
कुल राशि	**12,000/-**	**12,000/-**

व्यक्तिगत परिवार द्वारा उपरोक्त प्रोत्साहन धनराशि के अतिरिक्त अपने निजी संसाधन से अधिक अच्छे शौचालय का निर्माण कराया जा सकता है। सामुदायिक शौचालय काम्प्लेक्स निर्माण हेतु दो लाख रूपये तक की प्रोत्साहन राशि देय होगी जिसमें केन्द्र, राज्य तथा सामुदायिक हिस्सेदारी क्रमशः 60:30:10 के अनुपात में होगी।

केन्द्रीय अथवा राज्य सहायता से बनाये गये सभी भवनों में निरपवाद रूप से अभिन्न हिस्से के रूप में, उपयुक्त स्वच्छता सुविधा होनी चाहिये। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत शौचालय निर्माण का कार्य की जिम्मेदारी पंचायतीराज विभाग की है। अतः इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिये ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम प्रधान, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) या सम्बन्धित जिले के जिला पंचायतीराज अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

दो गड्ढों वाला जलबन्द शौचालय

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत दो गड्ढे वाले जलबन्द शौचालय अथवा उससे उच्च तकनीकी के शौचालय का निर्माण कराया जा सकता है परन्तु प्रोत्साहन धनराशि उपरोक्तानुसार ही रहेगी। अधिकतर मामलों में दो गड्ढे वाले शौचालय निर्माण को ही प्राथमिकता दी जाती है। ग्रामों के सर्वांगीण विकास हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों का चयन किया जाता है, जिसके अन्तर्गत स्वच्छ शौचालय एक महत्वपूर्ण घटक है। सुलभ सन्दर्भ हेतु यहाँ पर दो गड्ढों वाले जलबन्द शौचालय का नक्शा दिया गया है। इन दोनों गड्ढों का उपयोग बारी-बारी से आवश्यकतानुसार किया जा सकता है। बहुत से परिवारों द्वारा एक गड्ढे वाले शौचालय का निर्माण कराया जाता है। ऐसा अधिकांशतः निजी संसाधनों से बनाये जाने वाले अथवा कच्चे शौचालयों के मामले में किया जाता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि शौचालय निर्माण केवल स्वास्थ्य से ही जुड़ा नही बल्कि एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दा है जिसे सुलझाने के लिये सरकारी प्रयास ही पर्याप्त नही हैं। यह जरूरी है कि समाज का प्रत्येक जागरूक व्यक्ति इस दिशा में एक सकारात्मक पहल करे। व्यक्ति की सोच बदलने एवं व्यवहार परिवर्तन के लिये इस प्रकार की पहल आवश्यक है। सवाल यह है कि इस परिवर्तन के लिये पूरे समाज की भागीदारी की प्रतीक्षा की जाये या व्यक्तिगत स्तर पर पहल शुरू कर दी जाये जिससे प्रेरित होकर आसपास के लोग भी इस दिशा में प्रयास करना शुरू कर दें।

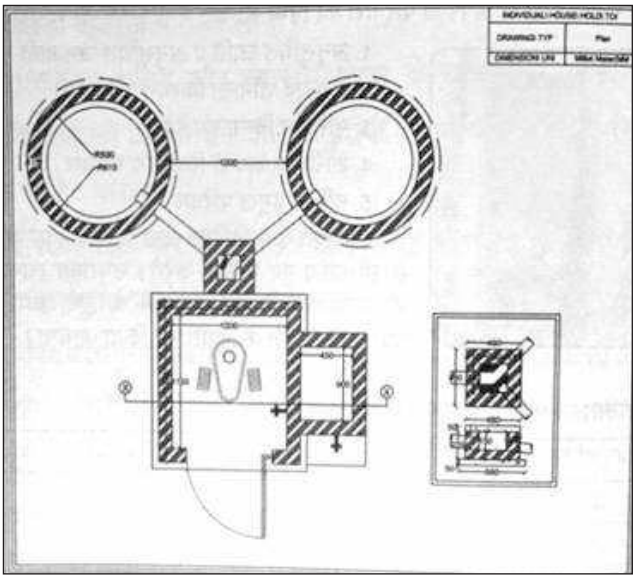

ग्रामीण डेवलपमेण्ट सर्विसेज (जी.डी.एस.) की पहल

जी.डी.एस. के प्रमुख कार्यों में जल,स्वच्छता एवं सफाई (water, sanitation & hygiene- WASH) कार्यक्रम को बढ़ावा देना एक महत्वपूर्ण विषय है। इस क्षेत्र में कार्यरत ऑक्सफैम तथा वाटरएड इण्डिया जैसी विख्यात संस्थाओं

के सहयोग से पूर्वी उत्तर प्रदेश के चयनित क्षेत्र में विगत कई वर्षों से जन सहभागिता के आधार पर इससे सम्बन्धित बहुत से हस्तक्षेपों को लागू किये जाने के सफल प्रयास किये गये हैं। इन चयनित क्षेत्रों के अन्तर्गत जनपद महराजगंज, गोरखपुर, सिद्धार्थ नगर एवं सन्त कबीर नगर जिलों के 20 गाँवों में 3500 परिवारों से अधिक के साथ आक्सफैम इण्डिया की सहायता से स्वच्छता कार्यक्रमों को चलाया जा रहा है। इन कार्यक्रमों को जन सहभागिता के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिये प्रत्येक ग्राम में एक वाश कमेटी (WASH Committee) का गठन किया गया है। सूचना, शिक्षा एवं संचार की विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से परिवारों को खुले में शौच नहीं करने तथा शौचालय निर्माण के लिये संवेदित किया जाता है। इसमें सरकारी विभागों के साथ समन्वय स्थापित करके शौचालय निर्माण को प्रोत्साहित किया जाता है। यही कारण है कि अभी तक इन गाँवों के कई परिवारों को निर्मल/स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत शौचालय निर्माण कार्यक्रम से जोड़ा जा सका है। सी. एल.टी.एस. आधारित स्वच्छता प्रोत्साहन पहल के द्वारा लोगों को न केवल खुले में शौच से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभावों के प्रति सचेत किया जाता है अपितु इससे अभिप्रेरित होकर वे तत्काल शौचालय निर्माण के प्रति सक्रिय हो जाते हैं तथा उपलब्ध संसाधनों के आधार पर दो/एक पिट वाले अथवा विशेष परिस्थिति में कच्चे शौचालय के निर्माण का निर्णय लेते हैं।

इसी प्रकार वर्ष 2014 से सन्त कबीर नगर जनपद के बघौली विकास खण्ड में वाटरएड इण्डिया नामक संस्था के सहयोग से 81 गाँवों के लगभग दस हजार परिवारों को स्कूल वाश एवं स्वास्थ्य व्यवस्था में वाश परियोजना के अन्तर्गत आच्छादित करने का प्रयास किया गया। समुदाय के साथ ही साथ जिला प्रशासन व सम्बन्धित विभागों के समन्वयन से स्वच्छता कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। गत वर्ष तक लगभग 600 शौचालयों की स्थापना की जा चुकी थी। इस परियोजना के अन्तर्गत चयनित स्कूलों में स्कूली लड़के तथा लड़कियों के लिये अलग-अलग शौचालय वाले स्वच्छता परिसर की स्थापना भी की जाती है। यही नही, जन जागरूकता के साथ ही साथ चयनित लक्ष्य समूह के क्षमतावर्धन हेतु शौचालय निर्माण के लिये विशेष कौशल आधारित राजगीर प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रम भी संचालित किये जाते हैं जिससे कुशल राजगीरों द्वारा मानक के अनुरूप निर्माण किया जा सके।

सरकारी सहयोग से फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना

कृषि यन्त्रों के समुचित उपयोग के माध्यम से सीमित भूमि में उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना में स्मैम (SMAM – Sub Mission on Agriculture Mechanization) की शुरूआत की गयी। इस मिशन का व्यापक उद्देश्य कृषि की दृष्टिकोण से कमजोर संभागों में लघु एवं सीमांत किसानों की कृषि यन्त्रीकरण तक पहुँच को आसान बनाना था, जिसके फलस्वरूप, उन्हें कृषि यन्त्रों एवं उपकरणों को खरीदने के लिये आवश्यक वित्तीय सहायता प्राप्त हो सके। उत्तर प्रदेश में इस योजना के अन्तर्गत 75 प्रतिशत अंशदान केन्द्र सरकार तथा शेष 25 प्र0श0 राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने का प्राविधान किया गया है। मिशन की उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुये, ग्रामीण डेवलपमेण्ट सर्विसेज यानि जी.डी.एस. द्वारा जनपद श्रावस्ती के सिरसिया विकास खण्ड में टाटा ट्रस्ट्स के सहयोग से संचालित कृषि आधारित परियोजना के अन्तर्गत गठित अनुसूचित जनजाति (थारू समुदाय) बहुल दो महिला समूहों; लक्ष्मी कृषि संसाधन केन्द्र व गंगा मैया महिला समूह, को अभिप्रेरित करके जिला कृषि विभाग श्रावस्ती में आवेदन कराया गया। विभागीय प्रक्रिया के उपरान्त जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा इन दोनों महिला समूहों का फार्म मशीनरी बैंक के लिये चयन कर लिया गया है। प्रत्येक समूह को 8 लाख रूपये सरकारी अनुदान तथा एक लाख रूपये बैंक ऋण के रूप में उपलब्ध कराया गया है। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित समूह द्वारा एक लाख रूपये का निवेश स्वयं करना होगा। इस प्रकार प्रत्येक फार्म मशीनरी बैंक में कुल 10 दस रूपये मूल्य के कृषि यन्त्रों एवं उपकरणों की व्यवस्था की गयी है। इन दोनों फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है तथा शीघ्र ही उपरोक्त महिला समूहों से जुड़े किसान परिवारों को इनका लाभ मिलना शुरू हो जायेगा। जी.डी.एस. की वर्तमान सुजलाम् सुफलाम् परियोजना का सरकारी विकास योजनाओं के साथ मिलकर कार्य करने की यह एक प्रशंसनीय पहल है।

खरीफ की फसलों की अच्छी पैदावार हेतु प्रशिक्षण का आयोजन

धान की फसल पैदा करने में लागत की कमी लाने के साथ ही इसकी रोपाई में होने वाली मानव श्रम, पानी, नर्सरी जैसी परेशानियों से बचने के लिये इसकी सीधी बुवाई करना एक उपयोगी तरीका है। अगेती बाढ़ वाले क्षेत्रों में भी धान का सीधी बुवाई करके अच्छी पैदावार ली जा सकती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुये जी.डी.एस. द्वारा गत 22 जून, 2017 को विकास खण्ड फरेन्दा जनपद महराजगंज स्थित अपने क्षेत्रीय कार्यालय पर सुजलाम् सुफलाम् परियोजना के विभिन्न क्लस्टर में कार्यरत 15 कार्यकर्ताओं हेतु धान की सीधी बुवाई पर आधारित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें प्रतिभागियों को जीरोटिल/सीड ड्रिल मशीन द्वारा धान की बुवाई के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी तथा इसका खेत में प्रदर्शन भी किया गया। इसके अतिरिक्त उन्हें इससे सम्बन्धित पूरे पैकेज पर विस्तार से जानकारी दी गयी।

इसी प्रकार, खरीफ के मौसम में की जाने वाली अधिक मुनाफा की केला, हल्दी व मूँगफली की फसलों के बारे में अलग-अलग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये।

किसानों के लिये अनुदान वाली सरकारी योजनायें

उत्तर प्रदेश में किसानों के लिये प्रदेश सरकार द्वारा कृषि एवं औद्यानिक विकास हेतु अनेक योजनायें संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत प्रदेश के कृषि तथा उद्यान विभाग में पंजीकृत/चयनित किसानों को कृषि निवेशों पर दी जाने वाली अनुदान राशि का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में स्थानान्तरित कर दी जाती है। यहाँ डी.बी.टी. के माध्मय से लाभ पहुँचाने वाली इस प्रकार की कुछ सरकारी योजनाओं के बारे में संक्षिप्त एवं उपयोगी जानकारी प्रदान की जा रही है, जिसका लाभ पात्र किसानों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

- **केले के खेती के लिये पौध**

  केला अधिक लागत वाली फसल है जिसके लिये सरकार द्वारा डी.बी.टी. के माध्मय से अनुदान देने की व्यवस्था की गयी है। इसके अन्तर्गत चयनित किसान सरकार द्वारा अभिप्रमाणित संस्थाओं से केले के 'जी-9' टिशूकल्चर पौध निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य तक अपनी स्वेच्छानुसार खरीद सकता है। परन्तु यह ध्यान रहे कि रोपण सामग्री की नकद खरीद आवेदन में दर्शाये गये क्षेत्रफल के लिये निर्धारित मात्रा में ही की जानी चाहिये। डी.बी.टी. का लाभ प्राप्त करने के लिये किसान को संस्था के द्वारा उपरोक्त खरीद के लिये दी गयी रसीद सम्बन्धित जिले के जिला उद्यान अधिकारी को उपलब्ध कराना होगा।

- **संकर शाकभाजी एवं मसाला बीज**

  पंजीकृत/चयनित किसानों द्वारा शाकभाजी एवं मसाला के संकर प्रजाति के गुणवत्तायुक्त बीजों की नकद खरीद सरकार से पंजीकृत या लाइसेन्स प्राप्त बीज विक्रताओं से अधिकतम खुदरा मूल्य तक की जायेगी। डी.बी.टी. का लाभ प्राप्त करने के लिये किसान को बीज विक्रेता के द्वारा उपरोक्त खरीद के लिये दी गयी रसीद सम्बन्धित जिले के जिला उद्यान अधिकारी को उपलब्ध कराना होगा।

- **हल्दी के बीज हेतु अनुदान**

  हल्दी की खेती करने के इच्छुक पंजीकृत/चयनित किसानों को टी.एस.जी. द्वारा चयनित हल्दी के बीज की प्रजातियों का चयन करना होगा तथा सरकार से पंजीकृत व लाइसेन्स प्राप्त बीज विक्रेताओं से निर्धारित दर पर तथा चयनित क्षेत्रफल हेतु निर्धारित मात्रा में हल्दी का बीज नकद खरीदना होगा। सरकारी अनुदान प्राप्त करने के लिये बीज विक्रेता द्वारा दी गयी रसीद सम्बन्धित जिले के जिला उद्यान अधिकारी को उपलब्ध कराना होगा।

- **जैविक खाद/सूक्ष्मपोषण/जैव कीटनाशक हेतु अनुदान**

  मृदा स्वास्थ्य में सुधार की दृष्टिकोण से परीक्षण में पायी गयी कमियों को दूर करने के लिये चयनित लाभार्थी किसान द्वारा उपरोक्त कृषि सामग्री की खरीद इसके मूल उत्पादकों/पंजीकृत/लाइसेन्स प्राप्त विक्रेताओं से स्वेच्छापूर्वक नकद मूल्य पर की जायेगी। सरकारी अनुदान प्राप्त करने के लिये विक्रेता द्वारा दी गयी रसीद सम्बन्धित जिले के जिला उद्यान अधिकारी को उपलब्ध कराना होगा।

- **वर्मी कम्पोस्ट एवं नीमकेक**

  जिला उद्यान विभाग द्वारा चयनित किसान वाणिज्य कर अथवा कृषि विभाग द्वारा जैव रसायन आर्गेनिक खाद विक्रय हेतु पंजीकृत मूल उत्पादकों,

लाइसेन्सप्राप्त विक्रेताओं से वर्मी कम्पोस्ट एवं नीमकेक अधिकतम खुदरा मूल्य तक नकद खरीदेंगे। सरकारी अनुदान प्राप्त करने के लिये विक्रेता द्वारा दी गयी रसीद सम्बन्धित जिले के जिला उद्यान अधिकारी को उपलब्ध कराना होगा।

उपरोक्त योजनाओं की तरह ही निजी क्षेत्र में पौधशाला, टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला, सीड इन्फ्रास्ट्रक्चर इकाई, मशरूम इकाई, शीतगृह पैक हाउस, प्याज भण्डार गृह एवं स्माल प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना करने के लिये परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। इसके लिये आनलाइन पंजीकरण कराना होगा। इसके अन्तर्गत इकाई लागत के सापेक्ष अनुमन्य अनुदान की धनराशि का भुगतान डी.बी.टी. के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में कर दिया जायेगा।

अतः किसानों को यह सलाह दी जाती है कि डी.बी.टी. के माध्यम से सरकारी अनुदान प्राप्त करने के लिये उन्हें विभाग में अपना पंजीकरण करा लेना चाहिये तथा यथोचित समय पर कृषि निवेशों के लिये आवेदन अवश्य कर देना चाहिये जिससे विभाग द्वारा अनुदान हेतु उनका चयन किया जा सके।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

इस योजना के अन्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई पद्धति को बढ़ावा देने के लिये केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संयुक्त अंशदान के द्वारा पात्र किसानों को अनुदान प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है। यह योजना 60:40 के फण्डिंग पैटर्न पर आधारित है अर्थात् कुल देय अनुदान धनराशि में 60 प्रतिशत केन्द्रांश तथा शेष 40 प्रतिशत राज्यांश होगा। उत्तर प्रदेश में लघु सीमांत किसानों को ड्रिप एवं स्प्रिंकलर से सिंचाई की सुविधा के लिये भारत सरकार द्वारा निर्धारित इकाई लागत का 90 प्र0श0 तथा अन्य किसानों को 80 प्र0श0 सरकार द्वारा अनुदान दिया जायेगा तथा शेष धनराशि लाभार्थियों द्वारा स्वयं देय होगी। ऐसा वर्तमान में 35 प्र0श0 अतिरिक्त राज्यांश के प्राविधान करने से सम्भव हुआ है जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है;

लाभार्थी श्रेणी	केन्द्रांश (60%)	राज्यांश (40%)	अतिरिक्त राज्यांश (Top up)	कुल राज्यांश	कुल अनुदान	लाभार्थी अंश
लघु एवं सीमांत	33(%)	22(%)	35(%)	57(%)	90(%)	10(%)
अन्य कृषक	27(%)	18(%)	35(%)	53(%)	80(%)	20(%)

- **लाभार्थियों की पात्रता**
  - ❑ लाभार्थी के पास स्वयं की भूमि होनी चाहिये तथा अनुदान अधिकतम 5 हेक्टेयर की सीमा तक देय होगा।
  - ❑ सिंचाई के लिये लाभार्थी के पास पानी का श्रोत उपलब्ध हो।
  - ❑ लाभार्थी स्वयं द्वारा देय अंशदान वहन करने हेतु सहमत होने के साथ ही सक्षम भी हो।
  - ❑ योजना का लाभ सहकारी समितियों के सदस्यों, स्वयं सहायता समूह, इनकार्पोरेटेड कम्पनीज, पंचायतीराज संस्थाओं, गैर सहकारी संस्थाओं, ट्रस्ट्स, उत्पादक कृषकों

के समूह के सदस्यों को भी मिलेगा।

- ❑ संविदा पर खेती करने वाले अथवा 7 वर्ष के लीज एग्रीमेण्ट की भूमि पर बागवानी करने वाले लाभार्थियों को अनुदान अनुमन्य होगा।

- **अनुदान (डी.बी.टी.) की प्रक्रिया**
  - ❑ इच्छुक लाभार्थियों का वेब पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है तथा उनका चयन प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त पर किया जायेगा।
  - ❑ योजनान्तर्गत सूचीबद्ध निर्माता फर्मों में से किसी से भी ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सुविधा का लाभ किसान स्वेच्छानुसार प्राप्त कर सकता है। इसके लिये किसान को निर्माता फर्मों की स्वयं मूल्य प्रणाली के आधार पर किसी भी निर्माता फर्म या उसके द्वारा अधिकृत डीलर्स अथवा वितरक से ड्रिप/स्प्रिंकलर आपूर्ति तथा स्थापना का कार्य अपने निजा श्रोत से भुगतान करके कराना होगा। इसके लिये निर्धारित सरकारी अनुदान की धनराशि डी.बी.टी. के माध्यम से सीधे उसके बैंक या ऋण खाते में स्थानान्तरित कर दी जायेगी।
  - ❑ यदि लाभार्थी किसान ड्रिप/स्प्रिंकलर आपूर्ति व स्थापना के लिये निजी श्रोत से किये जाने वाले भुगतान को एकमुश्त वहन करने में असमर्थ है, तो ऐसी दशा में सरकारी अनुदान की धनराशि के बराबर का भुगतान आपूर्तिकर्ता को पोस्टडेटेड चेक के माध्यम से किया जा सकता है।
  - ❑ सरकारी अनुदान धनराशि का भुगतान सम्बन्धित जिला उद्यान अधिकारी द्वारा डी0बी0टी0 प्रक्रिया के माध्यम से सीधे लाभार्थी किसान के बैंक खाते में कर दिया जायेगा। परन्तु यह भुगतान लाभार्थी से प्राप्त संतुष्टि प्रमाण-पत्र, जिलाधिकारी द्वारा गठित सत्यापन समिति की संतोषजनक रिपोर्ट तथा आपूर्तिकर्ता को किये गये भुगतान के आधार पर किया जायेगा।

खेती की सिंचाई के लिये महत्वपूर्ण उपरोक्त दोनों पद्धतियों को अपनाने के लिये किसानों को विभागीय वेब पोर्टल पर पंजीकरण अवश्य करा लेना चाहिये। पंजीकरण के पश्चात् स्वेच्छानुसार स्थानीय कृषि सन्दर्भों/फसलों को दृष्टिगत रखते हुये उचित पद्धति का चयन करके तत्काल आवेदन कर देना चाहिये तथा समय-समय पर सम्बन्धित सरकारी विभाग का इस सम्बन्ध में हुई प्रगति की स्थिति जानने हेतु अनुसरण करते रहना चाहिये।

सूक्ष्म कृषि नियोजन

किसी भी उद्देश्यपरक कार्य के सफल निष्पादन हेतु ठोस नियोजन आवश्यक है क्योंकि ऐसा करने से आवश्यक संसाधनों के साथ ही सम्भावित चुनौतियों, अवसरों तथा खतरों का पूर्वानुमान करके निश्चित दिशा में अग्रसर होने के लिये यथोचित मापदण्डों का उपयोग किया जा सकता है। उत्पादन क्षेत्र में नियोजन का विशेष महत्व है। सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति हेतु उत्पादन प्रक्रिया की प्रारम्भिक अवस्था से लेकर उत्पाद के विपणन तक का सही नियोजन एवं उसके लिये समुचित कार्यनीतियों का निर्माण जरूरी है। विभिन्न उद्योगों के मामले में नियोजन की सम्पूर्ण प्रक्रिया व्यावसायिक रूप से दक्ष लोगों के परामर्श एवं उनकी देखरेख में सम्पन्न की जाती है परन्तु उत्पादन के कार्य में चिरकाल से समर्पित कृषि क्षेत्र में आधार स्तरीय नियोजन की भारी कमी रही है। बड़ी संख्या में मौजूद छोटे एवं सीमांत किसानों द्वारा अपनी छोटी सी जोत में फसल उत्पादन के लिये प्रायः तकनीकी तौर पर कोई पूर्व नियोजन नहीं किया जाता है क्योंकि उनका उद्देश्य अधिकांशतः अपनी खाद्य सुरक्षा निश्चित करना तथा अतिरिक्त उत्पादन के विक्रय से अपने रोजमर्रा के खर्चे चलाना होता है। लेकिन इतने के लिये भी उन्हें नियोजन की आवश्यकता है ।

सूक्ष्म कृषि नियोजन क्यों ?

कृषि उत्पादन से बेहतर आमदनी पाने के लिये यह आवश्यक है कि अपेक्षाकृत कम लागत में अधिक से अधिक पैदावार सुनिश्चित की जाय तथा कृषि उत्पादों का विपणन ऐसी अनुकूल परिस्थितियों में किया जाये कि किसानों को उनकी पैदावार का अधिकाधिक मूल्य मिल सके। लेकिन क्या ऐसा बिना सही नियोजन के सम्भव है? केवल संयोग के भरोसे खेती करने से अपेक्षित लाभ मिल पाना कठिन है। इसलिये वर्षभर के लिये कृषि नियोजन जरूरी है। किस खेत में तथा किस सीजन में कौन सी फसल पैदा की जानी है यह सुनिश्चित हो जाने से आवश्यक कृषि निवेशों (बीज, उर्वरक, कृषि रसायन, उपकरण, नकदी इत्यादि) की समयानुसार व्यवस्था की जा सकती है, क्योंकि प्रायः ऐसा देखा गया है कि कृषि निवेशों की आवश्यकता की चरम अवस्था में उपरोक्त गुणवत्तायुक्त निवेशों का मिल पाना मुश्किल हो जाता है। जिससे किसानों को ज्यादा कीमत पर कम या बिना गुणवत्ता वाले निवेशों को अविश्वसनीय श्रोतों से खरीदने के लिये बाध्य होना पड़ता है। यही नहीं, कभी-कभी उपलब्धता नहीं होने पर या तो फसल बदलना पड़ता है अथवा काम चलाऊ तरीके से खेती करनी पड़ती है। वैज्ञानिक ढंग से खेती करने के लिये भी सूक्ष्म कृषि नियोजन करना जरूरी है क्योंकि ऐसा करने से किसानों द्वारा वैज्ञानिक संस्तुतियों को अपनाना ज्यादा आसान हो जाता है। अतः यह आवश्यक है कि किसानों द्वारा तकनीकी सूझबूझ के साथ सूक्ष्म कृषि नियोजन अपनाया जाय जिससे वे लाभप्रद खेती की ओर अग्रसर हो सकें।

सूक्ष्म कृषि नियोजन कब ?

सामान्यतया सूक्ष्म कृषि नियोजन पूरे साल के तीनों मौसम (खरीफ, रबी व जायद) के लिये खरीफ मौसम के शुरू होने से पहले करना चाहिये। किसानों द्वारा जमीन बॅटाई या नकद भुगतान पर देने/लेने का निर्णय भी प्रायः इसी समय लिया जाता है। खरीफ की शुरूआत में ऐसा करना इसलिये भी आवश्यक है क्योंकि खेती में लागत की व्यवस्था के साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को अन्य सामाजिक खर्चों के अतिरिक्त अपने बच्चों की शिक्षा पर होने वाले एकमुश्त खर्चे की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। सही नियोजन नही होने पर ये

सभी कार्य प्रभावित हो सकते हैं। यह आवश्यक होगा कि पूर्व में किये गये नियोजन की समीक्षा आगामी प्रत्येक कृषि मौसम की शुरूआत से पहले करके, जैसा जरूरी हो, आवश्यक सुधार कर लिये जाय एवं तदनुसार कृषि निवेश व्यवस्था भी सुनिश्चित कर ली जाय। कृषि कार्य मौसम आधारित होने के कारण इस तरह की समीक्षा कर लेना जरूरी है क्योंकि वर्ष भर के लिये किया गया नियोजन अधिकांशतः सामान्य कृषि परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये किया जाता है तथा इसमें किसी मौसमी बदलाव के कारण फेरबदल हो सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य आन्तरिक या बाह्य कारणों से भी बदलाव हो सकता है।

सूक्ष्म कृषि नियोजन का तरीका

यह बेहतर होगा यदि शुरू में सूक्ष्म कृषि नियोजन किसी तकनीकी सहयोग के माध्यम से किया जाय क्योंकि ऐसा करने से किसानों को नियोजन में सम्भावित कमियों को दूर करने में मदद मिलेगी तथा भविष्य में स्वतः नियोजन करने के लिये उनकी जानकारी बढ़ेगी। सामान्यतया, सूक्ष्म कृषि नियोजन करते समय निम्नलिखित बातों के बारे में जानकारी होना जरूरी है;

- कृषि सन्दर्भ (Context) का ज्ञान - मिट्टी, जलवायु इत्यादि की जानकारी।
- उपलब्ध कृषि योग्य भूमि की प्लाटवार स्थिति एवं क्षेत्रफल की जानकारी।
- गत वर्ष/वर्षों में प्लाट विशेष में पैदा की गयी फसलों के सम्बन्ध में जानकारी - लागत, उत्पादन, आय आदि।
- क्षेत्र में वर्तमान समय में पैदा की जाने वाली प्रमुख फसलें।
- संसाधनों की उपलब्धता - सिंचाई, श्रम, महत्वपूर्ण निवेश, तकनीकी एवं अन्य सहायता, बाजार इत्यादि।
- सम्बन्धित किसान की उद्यमशीलता, खेती सम्बन्धी जानकारी एवं भविष्य की सोच।

उपरोक्त नियोजन की प्रक्रिया भले ही कई किसानों द्वारा एक साथ की जाय परन्तु सभी की परिस्थितियॉ भिन्न होने के कारण एक जैसा नियोजन सम्भव नही होगा। यह किसानों के हित में होगा कि सूक्ष्म कृषि नियोजन प्रत्येक किसान द्वारा अपने प्रत्येक प्लाट के लिये अलग-अलग किया जाय। अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये प्रत्येक प्लाट के लिये खाद्यान्न या नकदी फसलों का चयन उनकी उपयुक्तता के आधार पर करनी चाहिये। इससे उनके द्वारा तात्कालिक निर्णय लेने की अवस्था से बचा जा सकेगा क्योंकि ऐसे समय में किसान खेती के कार्य से बोझिल रहता है जिससे उसका नुकसान हो सकता है। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश इस नियोजन में बदलाव आवश्यक हो तो इसके लिये भी यथासम्भव पहले से ही एक वैकल्पिक उपाय सोचकर रखना चाहिये। बेहतर होगा, इस वार्षिक कृषि सूक्ष्म नियोजन को लिखित रूप से किया जाय, जिसमें किस मौसम में कौन सी फसल पैदा की जानी है, इसका स्पष्ट उल्लेख हो।

जी.डी.एस. का प्रयास

किसान स्तर पर कृषि नियोजन के कार्य की शुरूआत जी.डी.एस. द्वारा टाटा ट्रस्ट्स के सहयोग से संचालित कृषि आधारित आजीविका संवर्धन सम्बन्धी परियोजना के अन्तर्गत औपचारिक रूप से श्रावस्ती जनपद में किया गया तथा इसे परियोजना कार्यक्षेत्र के अन्य स्थानों पर भी प्रचारित किया गया। वर्ष 2014 में रबी की फसल की बुवाई से पूर्व सिरसिया तथा गिलौला विकास खण्डों के चयनित किसानों द्वारा गठित किसान समूहों के सदस्यों को उनके व्यक्तिगत कृषि नियोजन हेतु संक्षिप्त प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रकार के नियोजन अभ्यास उ0प्र0 के जनपद बहराइच व बलरामपुर तथा बिहार के पूर्वी/पश्चिमी चम्पारण में भी किये गये। शुरूआती दौर होने के कारण इस नियोजन अभ्यास में किसानों की संख्या कम रही।

इस वर्ष सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, मुम्बई के सहयोग से संचालित सुजलाम् सुफलाम् परियोजनान्तर्गत प्रारम्भ से ही सभी चयनित किसानों के साथ प्रत्येक किसान का पंजीकरण तत्पश्चात् उसके साथ वार्षिक सूक्ष्म कृषि नियोजन किया गया है। समय-समय पर इस नियोजन में आवश्यक सुधार भी किये गये हैं। ऐसा करने से किसानों में कृषि नियोजन के प्रति जानकारी बढ़ी है तथा उनमें बहुत से किसान नियोजित तरीके से अधिक आय वाली फसलें पैदा करने की ओर अग्रसर हुये हैं। अकेले जी.डी.एस. नेटवर्क में अब तक लगभग पाँच हजार से अधिक किसान इस प्रकार की सूक्ष्म कृषि नियोजन अभ्यास में भाग ले चुके हैं। ये सभी किसान पूर्वी उत्तर प्रदेश के बाढ़ सम्भावित मैदानी क्षेत्र के रहने वाले हैं जहाँ बाढ़ व जल भराव के कारण खरीफ तथा देर से बुवाई के कारण रबी मौसम में पैदा होने वाली फसलें प्रभावित होती हैं साथ ही सिंचाई के सीमित साधनों की वजह से जायद की फसलें प्रायः बहुत कम कृषि क्षेत्रफल में पैदा की जाती हैं। ऐसी स्थिति में किसानों के लिये कृषि नियोजन और भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि उपरोक्त परिस्थितियों में किसानों कर कृषि आधारित आजीविका उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने के लिये पर्याप्त सहायक नहीं होती। फलतः उन्हें मजबूरी में शहरी प्रवास जैसे आय अर्जन के अन्य श्रोतों का सहारा लेना पड़ता है।

समुदाय आधारित संगठनों की भूमिका

यद्यपि सूक्ष्म कृषि नियोजन का अभ्यास वैयत्तिक रूप से एक कृषक परिवार के स्तर का कार्य है परन्तु शुरूआती तौर पर इसके लिये बहुत अभिप्रेरण एवं मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। सन्दर्भ विशेष में फसल का चुनाव करना एक तकनीकी एवं आर्थिक निर्णय है जिसे सम्बन्धित परिवार द्वारा सोच समझ कर लेना पड़ता है क्योंकि यह उनकी आजीविका से जुड़ा मुद्दा है। अतः प्रारम्भिक अवस्था में यह अच्छा होगा यदि इसके सकारात्मक या प्रतिकूल परिस्थितियों में नकारात्मक परिणाम में एक सामूहिक भागीदारी हो तथा किसी सम्भावित व्यक्तिगत निराशा से बचा जा सके। इससे आगे की कार्यनीतियाँ तय करने में किसान परिवार को एक सामूहिक नैतिक सम्बल मिलेगा। अतः इस स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में सक्रिय किसान क्लब, स्वयं सहायता समूह जैसे सामुदायिक संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। नियोजन सम्बन्धी सैद्धान्तिक व ब्यवहारिक प्रशिक्षण कम समय में अधिकाधिक किसानों को इन समूहों के माध्यम से आसानी से दिया जा सकता है तथा आगे चलकर इसका अनुश्रवण भी किया जा सकता है। इससे किसानों में आपसी विचार विमर्श, सहयोग तथा अपनाने की प्रवृत्ति में वृद्धि होगी। अतः विकास कार्यकर्ताओं के लिये गाँवों में यह एक सुलभ मंच है जिसका उपयोग करके वे किसी सदस्य किसान परिवार तक कृषि नियोजन के लिये आसानी से पहुँच सकते हैं।

सामुदायिक संगठनों के माध्यम से मात्र नियोजन की प्रक्रिया ही पूरी नही होती अपितु इसके आधार पर क्रियान्वयन के कार्य में भी आसानी होगी। नियोजन के अनुसार ज्यादा लागत वाले कृषि उपकरण जैसे निवेशों की व्यवस्था करना किसी एक किसान के लिये मुश्किल होगा परन्तु सामूहिक प्रयास से इसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इन संगठनों को समय-समय पर आवश्यकतानुसार पुनगर्ठित किया जा सकता है।

अतः कृषि संवर्धन कार्य में जुटी सरकारी तथा इतर संस्थाओं के लिये किसान स्तर पर कृषि नियोजन कार्य में तकनीकी सहयोग प्रदान करके इसे किसानों द्वारा अपनाने पर जोर दिया जाना चाहिए। यद्यपि किसानों द्वारा अनौपचारिक तरीके से कृषि नियोजन जारी रहता है परन्तु यह प्रक्रिया उतनी उपयोगी तथा उद्देश्यपरक नही होती। इस कार्य के लिये संस्थागत तथा व्यक्तिगत प्रयास करना जरूरी है।

निर्माण श्रमिकों के हितार्थ सरकारी योजनायें

असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की बड़ी संख्या भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्यों में लगी हुई है। जैसा कि हम जानते हैं कि इन श्रमिकों को मिलने वाली मूलभूत आवश्कतायें तथा कल्याण कारी सुविधाओं की बहुत कमी होती है, जिसका सीधा विपरीत असर स्वयं उनके तथा उनके परिवार के सदस्यों के जीवन की गुणवत्ता पर पड़ता है। ऐसी स्थिति में उन्हें अपने भविष्य को संवारने में कठिनाई महसूस होती है। कार्य तथा नियोजन की प्रकृति अस्थायी होने के कारण उनके तथा नियोक्ता के बीच का संबन्ध भी अस्थायी होता है, जिससे ये कठिनाईयाँ अधिक बढ़ जाती हैं। श्रमिकों की इन्हीं कठिनाईयों को देखते हुये सरकार द्वारा समय-समय पर अनेक कल्याणकारी योजनायें चलायी जाती हैं। यहाँ हम उ0प्र0 भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित कुछ योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहें हैं। इनमें से कुछ योजनाओं का लाभ बोर्ड में पंजीकृत एवं चयनित कर्मकारों को जी.डी.एस. के समन्वयन के माध्यम से मिल चुका है।

- **साइकिल सहायता योजना**

  कामगीरों को अपने कार्यस्थल पर सुगमता कम व्यय पर पहुँचने के लिये साइकिल सहायता योजना चलायी गयी है जिससे उन्हें दूरी तय करने के लिये पैदल न चलकर बल्कि साइकिल की मदद मिल सके। इससे उन्हें कार्यस्थल पर पहुँचने के लिये अन्य साधन में होने वाले खर्च की बचत होगी तथा वे कार्यस्थल पर समय से पहुँच सकेंगे। उ0प्र0 भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा श्रमिक के रूप कम से कम 6 माह से पंजीकृत व्यक्ति ही इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये पात्र माना जायेगा बशर्ते उसे केन्द्र अथवा राज्य सरकार की किसी अन्य योजना में साइकिल सहायता प्राप्त न हुई हो।

  बोर्ड द्वारा श्रमिक को साइकिल खरीदने के लिये रू0 3000/- की धनराशि अनुदान के रूप में दी जायेगी तथा शेष धनराशि लाभार्थी द्वारा स्वयं देय होगी। आवश्यकतानुसार श्रमिक स्वयं इसका सत्यापन क्षेत्रीय कार्यालय से करवायेगा। ऐसा नही करने की स्थिति में उपरोक्त धनराशि की वसूली तथा उसकी सदस्यता समाप्त करने पर विचार किया जायेगा। जी.डी.एस. के समन्वयन से 101 श्रमिकों को इस योजना का लाभ मिल चुका है।

- **सौर ऊर्जा सहायता योजना**

  इस योजना के अन्तर्गत श्रमिक को उसकी कार्यकुशलता बढ़ाने तथा उसके बच्चों के अध्ययन में सहायता करने के उद्देश्य से सोलर लाइट/लालटेन प्रदान की जाती है जिससे श्रमिक परिवार की प्रकाश सम्बन्धी आवश्यकता पूर्ण हो सके। वे सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिक इस योजना के लिये पात्र होंगे जिसे किसी अन्य योजना के तहत इस प्रकार की सुविधा नही मिली हो। श्रमिक के पूरे परिवार को एक इकाई माना जायेगा। इस योजना में श्रमिक को किसी धनराशि का भुगतान नही किया जायेगा बल्कि उसे सोलर लाइट/लालटेन (LED/CFL) मिलेगी। लाभार्थी को उसके पूरे जीवनकाल में केवल एक बार ही इस सुविधा का लाभ मिलेगा चाहे पति व पत्नी दोनों ही पंजीकृत हों। जी.डी.एस. के समन्वयन से 10 श्रमिकों को इस सुविधा का लाभ मिल चुका है।

- **दुर्घटना सहायता योजना**

  श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी पूर्ण अपंगता की स्थिति में उसके पूरे परिवार की आर्थिक एवं सामाजिक दशा अत्यन्त दयनीय हो जाती है। यह स्थिति तब और भी ज्यादा कँटकारी हो जब यह

श्रमिक ही अपने परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य होता है। इस योजना का उद्देश्य बोर्ड में पंजीकृत श्रमिक के दुर्घटनाग्रस्त होने पर तात्कालिक सहायता के तौर पर उसको तथा उसके परिवार को अनुग्रह राशि उपलब्ध कराना है। सभी पंजीकृत लाभार्थी कर्मकार या उनके आश्रितों; जिसमें पति, पत्नी, अविवाहित पुत्रियाँ, अवश्यक पुत्रों तथा आश्रित माता व पिता शामिल हैं, को देय होगा।

इस योजना का लाभ श्रमिक की कार्यस्थल पर मृत्यु या इतर मृत्यु पर तथा महिला कर्मकार की प्रसव के दौरान मृत्यु होने की स्थिति में मिलेगा। मृत्यु हो जाने पर श्रमिक के आश्रितों को एकमुश्त पॉच लाख रूपये, स्थायी रूप से पूर्ण अपंगता हो जाने पर तीन लाख रूपये तथा आंशिक विकलांगता पर दो लाख रूपये अनुग्रह धनराशि दी जायेगी।

- **मृत्यु एवं अन्त्येष्टि सहायता योजना**

  निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने पर उसकी अन्त्येष्टि एवं अंतिम संस्कार करना परिवार की तात्कालिक सामाजिक जिम्मेदारी बन जाती है जिससे परिवार पर तुरन्त आर्थिक बोझ आ जाता है। ऐसी स्थिति में परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना के अन्तर्गत प्राविधान किया गया है। मृतक निर्माण श्रमिक जो कि बोर्ड में पंजीकृत है उसके आश्रित इस योजना के लिये पात्र होंगे बशर्ते उसकी मृत्यु आत्महत्या जैसी स्थिति में न हुई हो। आश्रित को आर्थिक सहायता के रूप में रू0 15,000/- अन्तिम संस्कार में होने वाले व्यय हेतु तथा एक लाख रूपये की धनराशि एकमुश्त तात्कालिक सहायता के रूप में दी जायेगी।

- **बालिका मदद योजना**

  इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं को आर्थिक सहायता के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पंजीकृत कामगीरों की पुत्रियों को आर्थिक मदद पहुँचाना है। यह आर्थिक मदद उन पंजीकृत श्रमिकों की पुत्रियाँ को प्राप्त होगी जिन्होंने बोर्ड में पंजीकरण कराने की कम से कम एक वर्ष की अवधि पूरी कर ली हो। परिवार में जन्मीं पहली बालिका को यह लाभ मिलेगा तथा दूसरी बालिका को तभी मिलेगा यदि दोनों सन्तानें बालिका हों। परन्तु यदि प्रथम या द्वितीय प्रसव में एक से अधिक बालिकायें पैदा होती हैं तो ऐसे मामलों में यह लाभ सभी को अनुमन्य होगा। परन्तु ध्यान रहे, बालिका के जन्म का पंजीकरण जन्म-मृत्यु पंजिका में होना अनिवार्य होगा। 18 वर्ष की आयु होने पर बालिका की मृत्यु हो जाने की दशा में सावधि जमा की धनराशि बोर्ड को वापस हो जायेगी। केन्द्र अथवा राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त किये जाने पर इस योजना के लिये पात्र नही माना जायेगा।

  आर्थिक सहायता के अन्तर्गत बालिका को रू0 20,000/- की धनराशि एकमुश्त सावधि जमा के रूप में दी जायेगी जिसकी परिपक्वता बालिका के 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर होगी तथा बालिका को परिपक्वता मूल्य का भुगतान अविवाहित रहने पर ही किया जायेगा। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये परिवार के नजदीक स्थित आंगनवाड़ी केन्द्र पर बालिका के जन्म के एक वर्ष के अन्दर पंजीकरण करना आवश्यक है।

उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत निर्माण श्रमिकों के लिये अक्षमता पेंशन योजना, आवास सहायता योजना, पेंशन योजना, पुत्री विवाह अनुदान योजना, गम्भीर बीमारी सहायता योजना, कौशल विकास तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना, शिशु हित लाभ एवं मेधावी छात्र पुरस्कार जैसी कल्याणकारी योजनायें संचालित की जा रही हैं जिनके बारे में विस्तृत जानकारी बोर्ड से प्राप्त की जा सकती है। इन योजनाओं की पात्रता के लिये प्राथमिक तौर पर इन श्रमिकों को अपना पंजीकरण बोर्ड में अवश्य कराना चाहिये।

ग्रीष्मकालीन मूँगफली की खेती
एक अनुभव

मूंगफली पूर्वी उत्तर प्रदेश में खरीफ के मौसम में बोयी जाने वाली एक सामान्य फसल है। ग्रामीण डेवलपमेंट सर्विसेज द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में धानी ब्लाक के 15 गावों में तरीना परियोजना के अंतर्गत पहली बार जायद की फसल के रूप में मूंगफली की खेती को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों में पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाना, परिवार के सदस्यों को खाने में स्वयं मूँगफली प्रयोग करने हेतु प्रेरित करना एवं इसके साथ ही परिवार की आय को बढ़ाना भी है।

संस्था की पहल : संस्था कर्मियों ने सबसे पहले किसानों के साथ बैठकें करके खेत के साल भर होने वाले उपयोग एवं फसलों के विषय पर गंभीरतापूर्वक चर्चा किया। चर्चा के दौरान पता चला कि ज्यादातर किसान केवल खरीफ एवं रबी की खेती ही करते है तथा जायद के मौसम में अधिकतर खेत खाली पड़ा रहता है। कुछ ही किसान छोटे स्तर पर सब्जियों की खेती करते हैं। इसका कारण सिंचाई के लिये पानी की कमी और उपयुक्त फसल की खेती करने की जानकारी का आभाव है। गाँवों में जायद में मूंगफली की फसल पैदा करने की बात की गयी तो ज्यादातर किसानों का कहना था कि यहाँ ऐसी कभी कोई फसल गर्मी के मौसम में नहीं पैदा की गयी है। खरीफ की मूंगफली के प्रजाति के बारे में भी अच्छी जानकारी नहीं थी। यहॉ तक कि किसानों को ये भी नहीं पता था कि वो कौन से प्रजाति की मूंगफली बोते हैं? और इसका उत्पादन कितना है? इन्ही बातों को ध्यान में रखते हुए संस्था ने जायद में मूंगफली की खेती का एक नया प्रयोग किया और ये तय किया कि इस क्षेत्र में खरीफ में भी उन्नत प्रजाति की मूंगफली का प्रदर्शन कराया जाय ताकि किसान भविंय में उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग कर सकें। इस पहल के निम्न चरण और गतिविधियाँ रहीं ;

1. **जायद मूंगफली के उन्नत किस्म का चयन :** सर्वप्रथम मूंगफली के ऐसे किस्म का चयन किया गया जो इस क्षेत्र विशेष के लिए उपयुक्त हो, कम अवधि की हो एवं जिसका उत्पादन इस क्षेत्र में प्रचलित मूंगफली की प्रजाति से ज्यादा हो। इस क्रम में कई कृषि वैज्ञानिकों से विचार विमर्श किया गया। इसी दौरान पता चला की गोरखपुर के जंगलकौड़िया ब्लाक में कुछ किसानों द्वारा 80 से

90 दिन में परिपक्व होने वाली मूंगफली की प्रजाति का प्रयोग 2 वर्ष पहले किया गया था। जी.डी.एस. की टीम ने जंगलकौड़िया के उन किसानों से सम्पर्क किया। पता चला कि डी. एच. 86 प्रजाति की मूंगफली की खेती इन लोगों ने किया था और उत्पादन लगभग 10 से 12 कुंतल प्रति एकड़ मिला था। इस विषय पर जब कृषि वैज्ञानिकों से जानकारी की गयी तो पता चला कि ये उन्नत प्रजाति की मूंगफली है जिसे जायद और खरीफ दोनों मौसम में पैदा किया जा सकता है। अतः किसानो एवं कृषि वैज्ञानिकों से चर्चा के पश्चात् डी. एच. 86 प्रजाति का चयन किया गया।

2. **किसानों का चयन** : सभी गावों में सामूहिक बैठकें करके इस प्रजाति की मूंगफली के विषय में किसानों को बताया गया तथा प्रारम्भ में प्रायोगिक तौर पर 0.10 एकड़ की खेती हेतु किसान चयन की प्रक्रिया शुरू की गयी। किसानों के चयन करते समय इस बात का ध्यान रखा गया की केवल वे जागरूक किसान जिनके पास सिचाई का साधन हो इस पहल में सम्मिलित किये जॉय। अतः कुल मिलाकर 5.6 एकड क्षेत्र में मूंगफली की खेती करने के लिये 56 किसानों का चयन किया गया।

3. **खेत का चयन** : बलुई दोमट मिटटी सबसे उत्तम है।

4. **बीज की मात्रा** : बीज 30 किलोग्राम (छिलका समेत भार) प्रति एकड़ की दर से।

5. **बोआई का समय एवं तरीका** : बुआई के लिए 1 मार्च से 15 मार्च का समय सबसे उत्तम है। जायद में पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर एवं कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए।

6. **फसल उर्वरक प्रबंधन** : बुवाई से पहले बावस्टिन से बीज शोधन एवं खेत तैयार करते समय 10 कि0ग्रा0 सल्फर बेन्टोनाइट, 30 कि0ग्रा0 पोटाश एवं 5 कि0ग्रा0 फिप्रोलिन का प्रयोग करने की जरूरत होती है। फसल में फूल आने के समय 1.5 किलो (1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी) बोरान का छिड़काव करना चाहिए एवं जब फसल 50 से 55 दिन की हो जाये तो पुनः इसी दर से छिड़काव करना चाहिए।

7. **निराई गुड़ाई** : बोआई के 20 से 25 दिन के अन्दर निराई करके मिटटी चढ़ायी जाती है।

8. **खुदाई** : 85 से 90 दिन में खुदाई कर लेनी चाहिये क्योंकि डी.एच. 86 मूँगफली की खुदाई समय पर नहीं होने से पुनः जमने लगता है।

9. **उत्पादन** : 12 किसानों द्वारा प्राप्त उत्पादन के आधार पर पाया गया की इस प्रजाति उत्पादन 10 से 12 कुंतल प्रति एकड़ है।

10. **रोग एवं कीट निवारण** : मूंगफली की जायद की फसल में टिक्का रोग का प्रकोप कम होता है । केवल 5 से 7 प्र.श. फसल में ही इस रोग का प्रकोप देखा गया है। टिक्का रोग के बचाव के लिए खेत में जल भराव नहीं होने देना चाहिए। सिंचाई शाम को करना चाहिए। प्रकोप हो जाने के बाद कार्बेन्डाजिम या मैन्कोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर पौधों पर छिड़काव करें। इस फसल में दीमक की भी समस्या आती है। इसके उपचार हेतु खेत में कच्चा गोबर नहीं डालना चाहिये। पिछली फसल के अवशेष को नष्ट करना एवं खेत की गर्मियों में गहरी जोताई करना लाभदायक होता है। प्रकोप हो जाने पर क्लोरोपैइरीफास 2 मिली लीटर प्रति लीटर पानी में मिलकर मूंगफली की जड़ पर छिडकाव करें।

11. **चुनौतियाँ** :

- इस खेती को बढ़ावा देने में सबसे बड़ी चुनौती छोटे किसानों के पास सिंचाई की पर्याप्त सुविधा का न होना है। जायद में इसकी खेती

के लिए कम से कम 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है।

- स्थानीय स्तर पर इस प्रजाति की मूंगफली के विश्वसनीय बीज की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में नहीं है।
- खेत की सुरक्षा भी एक चुनौती है, क्योंकि जायद फसल के समय सभी खेत लगभग खाली होते हैं तथा खुले जानवर इसकी तरफ आकर्षित होते हैं, जिससे फसल को नुकसान होता है।
- फसल में टिक्का रोग 5-7 प्र.श. पौधों में लगता ही है।
- देर से बोने की स्थिति में पूरी फसल खराब होने का डर बना रहता है क्योंकि ऐसा होने पर खड़ी फसल पुनः जमने लगती है।

किसानों से चर्चा के दौरान अनुभव किया गया कि जायद में मूंगफली खेती नहीं करने का एक प्रमुख कारण केवल लम्बी अवधि की प्रजाति की मूंगफली का बीज उपलब्ध होना है। कम अवधि वाली मूंगफली फसल को तैयार होने के बाद किसानों में बीज की माँग तेजी से बढ़ी है, क्योंकि क्षेत्र में अभी तक प्रचलित सभी प्रजातियों की अपेक्षा डी. एच. 86 प्रजाति कम समयावधि में अधिक उत्पादन वाली मूंगफली है। किसानो के बीज की मांग को पूरा करने के लिए इस प्रजाति की मूंगफली के बीज का उत्पादन शुरू में 300 एकड़ हेतु कराया जायेगा जिससे अधिक से अधिक किसानों को बीज उपलब्ध हो सके। इस मूंगफली का गुच्छे में होने के कारण खुदाई करने में आसानी होती है एवं मूंगफली पूरी तरह से बाहर निकल आती है, जिससे समय एवं मेहनत की बचत होती है। किसानों को समय पर खरीफ की खेती करने के लिए खेत भी खाली हो जाता है। अतः किसान इसको जायद एवं खरीफ दोनों के लिए बहुत पसंद कर रहे हैं।

नारंगी शकरकंद की खेती से प्राप्त अनुभव

नारंगी शकरकंद (Orange Fleshed Sweet Potato) एक खास किस्म की शकरकंद है जिसके गूदे का रंग नारंगी होता है। 100 ग्राम कंद में 20 मिलीग्राम से अधिक "बीटा कैरोटिन" पाया जाता है, जो कि खाने के बाद विटामिन 'ए' के रूप में परिवर्तित हो जाता है। 100 ग्राम नारंगी शकरकंद की मात्रा खाने से पूरे एक सप्ताह के लिये विटामिन 'ए' की पूर्ति हो जाती है। इस शकरकंद में आम, पपीता, गाजर में पाये जाने वाले बीटा कैरोटिन की मात्रा से दोगुनी से भी अधिक पायी जाता है। अतः नारंगी शकरकंद कुपोषण एवं विटामिन 'ए' की कमी वाले क्षेत्रों में इस कमी से निपटने के लिए एक वरदान की तरह है।

नारंगी शकरकंद के प्रमुख गुण :

1. विटामिन 'ए' का प्रमुख स्रोत है।
2. रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है।
3. नारंगी शकरकंद कैंसर व यकृत सम्बन्धी बीमारियों को रोकने में मददगार होता है।
4. यह शकरकंद मधुमेह रोगी भी खा सकते हैं।
5. यह आँखों की बीमारी जैसे रतौंधी, आँखों से पानी आना, वीटाटस्पॉट, मोतियाबिंद को रोकने में मदद करती है।
6. नारंगी शकरकंद से विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाये जा सकते हैं, जैसे-पत्तियों के पकौड़े, साग, कंद का चिप्स, आचार, मिठाइयाँ आदि।

प्रमुख प्रजातियाँ : नारंगी शकरकंद की प्रमुख प्रजातियों में एस. टी. 14, एस. टी. 16, सी. आई. पी. 440 127 हैं। इनके अतिरिक्त अन्य कई प्रजातियाँ हैं जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए अधिक उपयुक्त नहीं हैं।

संस्था की पहल :

अपने प्रारम्भिक प्रयास में ग्रामीण डेवलेपमेण्ट सर्विसेज यानि जी.डी.एस. ने पूर्वी उत्तरप्रदेश के महाराजगंज जिले के धानी ब्लाक के 15 गावों में पहली बार नारंगी शकरकंद की प्रायोगिक खेती करने के लिये किसानों को प्रेरित किया। इस प्रयास का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों में नारंगी शकरकंद के स्वयं उपयोग से पोषक तत्वों एवं बच्चों में विटामिन "ए" की कमी को पूरा करना साथ ही अतिरिक्त उपज के विक्रय से परिवार की आय को बढ़ाना है।

सबसे पहले महिला किसानों के साथ सामूहिक बैठकें करके नारंगी शकरकंद के विषय में उन्हें जागरूक किया गया तथा इसकी खेती करने से होने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी गयी। चर्चा के दौरान महिलाओं ने बताया कि इस क्षेत्र में शकरकंद की खेती बहुत कम क्षेत्रफल में की जाती है तथा खाने में भी इसका प्रयोग अधिक नहीं किया जाता है। शकरकंद कभी कभार पूजा या किसी अन्य विशेष अवसर पर खायी जाती है। लोग इससे होने वाले लाभ के बारे में बहुत कम जानते हैं

इसलिए किसी भी प्रकार के शकरकंद को अधिक पसंद नहीं करते जिससे बाजार में मांग की कमी रहती है और किसानों द्वारा इसकी खेती कम करने का यही एक प्रमुख कारण है। जब गाँवों में बैठकों के माध्यम से नारंगी शकरकंद की बात की गयी तो तो कुछ महिला किसानों ने इसको अपने घर पर लगाने को तैयार हो गयीं। गत वर्ष 201 महिला किसानों ने अपने घरों के आसपास स्थापित पोषण बगीचा (न्यूट्रीशन गार्डन) में लगाया और 9 किसानों ने औसतन 0.04 एकड़ क्षेत्रफल में इसकी खेती की। इस क्षेत्र में नारंगी शकरकंद की खेती करने का यह पहला अवसर किसान परिवारों को मिला।

इस पहल के निम्न चरण और गतिविधियाँ रहीं :

1. **प्रजाति का चयन एवं उपलब्धता :** जी.डी.एस. टीम को कृषि वैज्ञानिकों एवं नारंगी शकरकंद की खेती को बढ़ावा देने वाली पी.आर.डी.एफ. नामक संस्था से चर्चा के बाद पता चला कि इस क्षेत्र के लिये उपयुक्त अन्य प्रजातियों की अपेक्षा एस.टी. 14 प्रजाति में विटामिन "ए" की सबसे अधिक मात्रा पायी जाती है। अतः प्राथमिक तौर पर इस प्रजाति का चयन किया गया। साथ ही इसकी एक अन्य प्रजाति एस.टी. 16 का भी चयन किया गया क्योंकि इसमें भी विटामिन "ए" पर्याप्त मात्रा में पायी जाती है। नारंगी शकरकंद की लतर पहली बार गोरखपुर एवं संतकबीर नगर के किसानों से ली गयी। बाद में किसानों द्वारा स्वयं अपने खेत में ही विशेष देखभाल के साथ नर्सरी में इसकी लतर तैयार की जाने लगी है जहाँ से किसानों की माँग के अनुरूप इसकी आपूर्ति हो रही है।
2. **किसानों का चयनः** उन महिला किसानों को प्राथमिकता के आधार पर चयनित किया गया जिन्होंने अपने घर पर पहले से ही पोषण वाटिका लगा रखा था जिनकी संख्या 201 थी। इन्हीं परिवारों में से 9 किसान परिवार ऐसे भी थे जिन्होंने इसको प्रयोग के तौर पर इसको अपने खेत में वाटिका की अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा क्षेत्रफल (औसतन 0.04 एकड़ प्रति किसान) में लगाया।
3. **जलवायु :** इसकी खेती के लिए 21 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अति उत्तम माना जाता है। यह शीतोष्ण व समशीतोष्ण जलवायु में उगाई जाने वाली फसल है। इसे 75 से 150 सेंटीमीटर बारिश की जरूरत पड़ती है। इसकी खेती तीनों (खरीफ, रबी एवं जायद) ही मौसम में की जा सकती है।
4. **भूमि का चयन एवं तैयारी :** शकरकंद की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी सब से अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ऐसी मिट्टी में कंदों की बढ़वार अच्छी तरह से हो पाती है। मिटटी का पी.एच. मान 5.5 से 6.5 तक होना चाहिए। खेत से जल निकासी का अच्छा इंतजाम होना चाहिये। इसकी बोआई से पहले खेत की एक बार मिट्टी पलटने वाले हल या रोटावेटर से जुताई करनी चाहिये। उसके बाद 2 जुताई कल्टीवेटर से करके खेत को छोटी छोटी समतल क्यारियों में बॉट लेना चाहिए। उस के बाद मिट्टी को भुरभुरी बना कर फसल लगाना चाहिये।
5. **शकरकंद की रोपाई एवं समय :** नारंगी शकरकंद की मुख्य खेती के लिये मध्य अगस्त से लेकर सितम्बर महीने तक लता रोपण करते हैं। रबी मौसम में दिसम्बर से जनवरी महीने तक रोपण किया जाता है। इसके कटिंग की रोपाई के लिए लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर व पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। जमीन में इसकी कटिंग को 6-8 सेंटीमीटर की गहराई पर लगाया जाता है। रोपाई के समय यह ध्यान देना चाहिए कि बेल की कटिंग 25 से 30 सेंटीमीटर के

आकार की होनी चाहिये। इस प्रकार कटी हुई लताओं को मानोक्रोटोफास दवा 0.05 प्र0श0 के घोल में 10 मिनट तक डुबोने के बाद मिट्टी में दबा दिया जाता है। प्रति एकड़ 350-400 कि0ग्रा0 बेल या 33600 टुकड़ों की आवश्यकता होती है।

6. **खाद की मात्रा :** शकरकंद की खेती के लिए प्रति एकड़ खेत में 60 से 70 क्विंटल गोबर की सड़ी खाद व 22-25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 22-25 किलोग्राम फास्फोरस और 40-45 किलोग्राम पोटाश की जरूरत पड़ती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटाश की आधी मात्रा आखिरी जुताई के समय व शेष आधी मात्रा बोआई के 30 दिनों के बाद देते हैं। कंदों की बढ़त के लिए जैविक खाद का प्रयोग ज्यादा अच्छा माना जाता है।

7. **सिंचाई :** शकरकंद की बेलों की कटिंग की रोपाई के 4-5 दिनों बाद पहली सिंचाई कर देनी चाहिये। इसके बाद वर्षा की मात्रा को देखते हुए 10-15 दिनों के अंतर पर सिंचाई करते रहना चाहिये। शकरकंद के खेत की तब तक निराई गुड़ाई जरूरी है जब तक कि फसल खेत को ढक न ले।

8. **कीट व बीमारियों की रोकथाम :** शकरकंद की फसल में सबसे ज्यादा प्रकोप पत्ती खाने वाली सूंड़ी का होता है। यह कीट बरसात में फसल को नुकसान पहुंचाता है। यह शकरकंद की पत्तियों को खा कर छलनी कर देता है, जिससे पत्तियाँ भोजन नहीं बना पाती और फसल की बढ़त रूक जाती हैं। इस कीट की रोकथाम के लिए नीम के काढ़े का 250 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करना चाहिये। इसके अलावा पीविल नाम का कीट इसके कंदों में घुस कर कंदों को बेकार कर देता है। इसकी रोकथाम के लिए सबसे अच्छा उपाय बोआई के समय कंदशोधन होता है। रासायनिक दवा क्लोरोयरिफोस 3 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाके छिड़काव करना चाहिये। शकरकंद की फसल में दो रोगों का हमला ज्यादातर देखा गया है; पहला तना सड़न है जो कि फ्यूजेरियम आक्सीसपोरम नामक फफूंदी के कारण होता है। इस रोग की वजह से फसल के तने में सड़न आ जाने से फसल बेकार हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिए रोगरोधी प्रजाति की फसल का चुनाव करना सही होता है। दूसरा रोग कली सड़न का है जिसमें कंदों की सतह पर धुंधले काले रंग के धब्बे बन जाते हैं। इस वजह से पौधे मर जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए 250 मि.ली. नीम के काढ़े का प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करना चाहिये। मंकोजेब या ब्लुकॉपर नामक दवा का 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव किया जा सकता है।

9. **खुदाई व भंडारण :** शकरकंद की खुदाई उसकी रोपाई के समय पर निर्भर करती है। जुलाई महीने में रोपी गई फसल की खुदाई नवंबर महीने में की जा सकती है। जब पत्तियां पीली पड़ कर सूखने लगें तो फावड़े या कुदाल से फसल की खुदाई करके कंद पर लगी मिट्टी को साफ करें। फिर किसी छायादार व हवादार जगह पर स्टोर करें।

10. **उपज :** सामान्य रूप से इसका उत्पादन 15 से 20 टन प्रति एकड़ होता है। शकरकंद की उपज अलग-अलग प्रजाति की अलग-अलग है।

चुनौतियाँ :

- किसानों का विश्वास। इस क्षेत्र में शकरकंद की खेती बहुत ही कम होती है अतः किसानो में इसकी खेती एवं बाजार को लेकर शंका होना स्वाभाविक है।
- जानकारी का अभाव। इस क्षेत्र के किसानों को इस प्रजाति की नारंगी शकरकंद के बारे

जानकारी नही थी।

- इस खेती को बढ़ावा देने में एक बड़ी चुनौती छोटे किसानो के पास सिंचाई की पर्याप्त सुविधा का न होना है।
- इस शकरकंद का रोपण हेतु लता का उपलब्ध न होना।
- बाजार का न होना। इस क्षेत्र में शकरकंद का कोई बड़ा बाजार नहीं है जहाँ उत्पादित फसल का विपणन हो सके।

अनुभव एवं सीख : किसानों एवं कृषि वैज्ञानिकों से चर्चा के दौरान अनुभव किया कि शकरकंद के विषय में यहाँ के लोगों की जानकारी बहुत ही कम है चूँकि शकरकंद यहाँ के खान-पान में बहुत शामिल नहीं है इसलिए इसकी पर्याप्त खेती भी नहीं की जाती। इसका कोई बाजार भी विकसित नहीं हो पाया है। जी.डी.एस. ने सबसे पहले स्वयं सहायता समूहों की बैठकों में इस विषय पर महिलाओं की समझ बनाया और उनको इसकी शुरूआत करने के लिए प्रेरित किया। पहली बार खुदाई पर इन महिलाओं के परिवार में नारंगी शकरकंद खाने के बाद लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। फलस्वरूप, भविष्य में और अधिक क्षेत्रफल में खेती करने के लिए किसानों में उत्सुकता दिखायी दे रही है। स्वाद के आधार पर कुछ लोगों ने इसको कम पसंद किया क्योंकि उनका कहना था कि क्षेत्र में पैदा की जाने वाली दूसरी प्रजाति की शकरकंद की तुलना में इसमें मिठास की कमी है। लेकिन ज्यादातर लोगों ने इसको पसंद किया। बच्चे इसको बहुत पसंद कर रहे हैं और शुरू में ज्यादातर कच्ची शकरकंद ही खा गये। स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के सम्बन्ध में संस्था द्वारा अभी इस प्रारम्भिक अवस्था में कोई प्रामाणिक अध्ययन नहीं किया गया है। प्राप्त उपज को किसी किसान ने अभी तक बाजार में बेचने का प्रयास नही किया है, अतः इसके विपणन की स्थिति भी अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है।

इस बार 12 लोगों ने बड़े क्षेत्रफल यानि 0.5 एकड़ से लेकर 1 एकड़ में नारंगी शकरकंद की खेती करने के लिये तैयार हैं। शेष लोग भी पिछली बार की अपेक्षा बड़े क्षेत्रफल में इसकी खेती करने की पहल की है। इस बार रोपण़ हेतु 1.6 एकड़ में लता नर्सरी तैयार की गयी जो 20 एकड़ में रोपण हेतु पर्याप्त होगी। इस साल कुल 40 एकड़ में इसकी खेती की योजना है। इस खेती के प्रोत्साहन के दौरान एक बात साफ समझ में आ गयी की किसी भी फसल की खेती के लिये किसानों को प्रोत्साहित करने से पहले उसकी विपणन सम्भावयता के बारे में पर्याप्त जानकारी कर लेनी चाहिए।

भविष्य की रणनीति

- किसानों की लता सम्बन्धी मांग को पूरा करने के लिए एस.टी 14 प्रजाति की शकरकंद की लता का नर्सरी में विशेष देखरेख में उत्पादन कराया जा रहा है जिससे 40 एकड़ में रोपण हेतु लता उपलब्ध करायी जायेगी।
- उपयुक्त बाजार प्रोत्साहित करने हेतु स्थानीय उद्यमी तैयार किये जायेंगे जिससे उत्पाद को बाजार में बेचा जा सके।

इस शकरकंद से बनने वाले विभिन्न प्रकार के खाने के व्यंजनों को बनाने के लिये समुदाय को प्रशिक्षित किया जायेगा ताकि इसकी खपत परिवारों में बढ़ सके। यह प्रयास होगा कि लोगों को इसका सही लाभ मिल सके और परिवार के पोषण स्तर में सकारात्मक सुधार हो सके।

जी.डी.एस. कार्यालय

मुख्यालय :
बी-1/84, सेक्टर-बी, अलीगंज, लखनऊ-226024. दूरभाष: 0522-4075891
ई-मेल: ho@gds.org.in वेबसाइट: www.gdsindia.ngo
सम्पर्क व्यक्ति : **श्री सुशील कुमार द्विवेदी** (सचिव)

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश

सन्त कबीर नगर, उत्तर प्रदेश
निकट नेदुला चौराहा, बनजरिया
खलीलाबाद पश्चिम, सन्त कबीर नगर, उ०प्र०-272 175
ई-मेल : khalilabad@gds.org.in

महराजगंज, उत्तर प्रदेश
मकान नं.-2, वार्ड नं.-3, सोनौली रोड,
आनन्द नगर, फरेन्दा, महराजगंज-273 155
ई-मेल : maharajganj@gds.org.in

ललितपुर, उत्तर प्रदेश
द्वारा श्री राणा रवीन्द्र प्रताप सिंह
318 सिविल लाइन्स जिला परिषद के पीछे, ललितपुर-288403
ई-मेल : lalitpur@gds.org.in

श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश
द्वारा मोहम्मद जाकिर, कोट रियासत, निकट श्रावस्ती पब्लिक इण्टर कालेज, भिनगा, श्रावस्ती-271 831
ई-मेल : shravasti@gds.org.in

बलरामपुर, उत्तर प्रदेश
बीर विनायक चौक, मोती सागर मोहल्ला,
पथिक होटल के सामने, बलरामपुर-271 201
ई-मेल : balrampur@gds.org.in

बिहार

सीतामढ़ी, बिहार,
द्वारा मोहन आटो सर्विसेज
आइ.बी.पी. पेट्रोल पम्प, रूनी सैदपुर,
सीतामढ़ी-843 328, बिहार
ई-मेल : sitamarhi@gds.org.in

वाल्मिकीनगर, बिहार
द्वारा श्री अनिल सिंह बिसहा (भू0पू0 मुखिया)
वाल्मिकीनगर, ब्लाक : बगहा-2
जिला : बेतिया, पश्चिमी चम्पारण-845 107
ई-मेल : arshad.umar@gds.org.in

मुजफ्फरपुर, बिहार
द्वारा श्री नागेश्वर प्रसाद सिंह,
बिहार निकेतन, लॉ कालेज से दक्षिण-पूर्व, गन्नीपुर
मुजफ्फरपुर-842 002
ई-मेल : muzaffarpur@gds.org.in

राजस्थान

जवाजा, राजस्थान
बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक जवाजा के निकट,
जिला अजमेर-305 922
ई-मेल : ajmer@gds.org.in

'आजीविका वार्ता' का प्रस्तुत अंक ग्रामीण डेवलपमेंट सर्विसेज के वेबसाइट www.gdsindia.ngo पर भी उपलब्ध है।

बुक पोस्ट

आजीविका संसाधन केन्द्र
ग्रामीण डेवलपमेंट सर्विसेज
बी-1/84, सेक्टर-बी, अलीगंज, लखनऊ-226 024 (उ.प्र.)
फोन : 0522-4075891, 2330640
ई-मेल : ho@gds.org.in ; rc@gds.org.in
वेबसाइट : www.gdsindia.org

सेवा में, _____

_____

_____